# HARYANA VIDHAN SABHA

# Dabates

## 24th February, 1970

### Vol.I, No.8

### Official Report

## CONTENTS

### Tuesday, the 24th February, 1970


| | Page |
|---|---|
| Statted Question and Answers | (8) 1 |
| Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45 | (8) 23 |
| Presentation of Budget for the year 1970-71 | (8)40-64 |

**HARYAN VIDHAN SABHA**

**Tuesday, The 24th February, 1970**

The Vidhan sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarth, at10.00 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig, Ram Singh)in the Chair.

## STARRED QUESTION AND ANSWERS

**Mr. Speaker:** Supplementaries on *Question No. 708 have been postponed. The Chief Minister will reply tomorrow.

**Flood and Famine Relief**

***547. Major Amir Singh Ch.:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) whether natural calamities of floods and famines of similar intensity are treated at par by the Government for relief purpose;

(b) if whether the famine affected areas of Mohindergarth district and flood affected areas of Karnal district were treated equally in the matter of remission of land revenue and allied dues during the year 1968-69; and if not, the reasons therefor; and the steps, if any, proposed to be taken by Government to remove

the disparity, if any, and to safeguard such recurrence in future?

**वित्त मन्त्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन):** (ए) नहीं, सिवाए विशेष परिस्थितियों के। (बी) ऊपर (अ) भाग पर दिए उत्तर को ध्यान में रखते हुए साधारणतया प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक केस में निर्णय नियमों के अनुसार परिस्थितियों को सम्मुख रखते हुए किया गया था, जिस में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी:** क्या वजीर साहब, साहिबा बतायेंगी कि फ्लडजदा और कहतजदा इलाकों को रिलीफ देने के लिए क्या क्राईटेरिया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैन:** स्पीकर साहब, रिमिशन आफ लैड रेवन्यू आर्डिनेरी और ऐक्सट्रा आर्डिनेरी हालात पर डिपेन्ड करता हैं। जहां तक ड्राट का सम्बन्ध हैं अगर यह वाईड सप्रैड हो तो इसे आर्डिनेरी रूलज के तहत लिया जाता हैं और अगर कहत लगातार तीन कापस तक पड़ता रहे तो उसे ऐक्स्ट्रा आर्डिनेरी माना जाता हैं। फ्लडज की जो एमेरजेंसी होती हैं वह लोकल तौर पर एकदम से पैदा हो जाती हैं इसलिये इनको ऐक्सट्रा आर्डिनरी तौर पर ट्रीट किया जाता हैं।

**मेजर अमीर सिंह चौधरी:** मैंने तो यह पूछा था कि फ्लडज के लिये और फेमिन के लिए रिलीफ देने का काइटेरिया क्या हैं और इन्होनें एक और ही कहानी बता दी। तो मैं गुजारिश

करूंगा कि एक आदमी फ्लड अफैकटिड हैं और दूसरा फेमिन अफैकटिड हैं उनकी माली हालात में क्या फर्क होता हैं और उनको रिलीफ देने का क्या क्राइटेरिया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** रिलीफ दोनों को देते हैं लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया यह आर्डिनेरी और ऐक्सट्रा आर्डिनरी हालात पर डिपेन्ट करता हैं और उन हालात के मुताबिक रिमिशन आफ लैंड रेवन्यू ससपेंशन आफ लैंड रेवन्यू करते हैं, फाडर चीप रेट्स पर दिया जाता हैं, एम्पालायमेंट के साधन दिये जाते हैं और दूसरी कई किस्म की सबसिडीज बगैरा दी जाती हैं लेकिन यह सब इनटैसिटी आफ दी कलैमिटी पर डिपेंड करता हैं। किस हद तक रिलीफ देना हैं यह गवर्नमेंट मैरिटस पर सोचती हैं।

**मेजर अमीर सिंह चौधरीः** मैं यह जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ में जो ड्राट हुआ उसकी इनटैन्सिटी क्या थी और जहां फ्लडज आये उनकी इनटैसिटी कितनी थी?

**Sh. Om Prabha Jain:** In 1968, in Mohindergarth District, the damage was-

Crops damaged in quintals 43, 53, 694; value in Rupees-2,52,48,321.

इसी प्रकार मेरे पास सारे जिलों की फिगर्ज हैं और अगर वह चाहेंगे तो मैं उनको टेबल पर लेकर दूंगी लेकिन जो नुक्सान जिला करनाल में कैथल तहसील में हुआ और अकेले

फ्लडज से हुआ उससे 5 करोड़ 33 लाख 90 हजार की फसलें खराब हुई।

**मेजर अमीर सिंह चौधरीः** स्पीकर साहब, मैंने नुकसान के बारे में नहीं पूछा हैं और मैंने तो यह पूछा हैं कि खराबे की परसेंटेज महेन्द्रगढ़ में क्या थी और जिला करनाल में तहसील कैथल में क्या थी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** जिला महेन्द्रगढ़ में परसेंटेंज के हिसाब से जिनते गांवो में नुकसान हुआ वह इस प्रकार हैं।

1 से 24 फीसदी तक 2 गांव 24 से 49 फीसदी तक 37 गांव, 50 से 74 फीसदी तक 64 गांव और 75 से 100 फीसदी तक 456 गांव में नुकसान हुआ है। so far as Karnal District is concerned the damage was-

25% to 50% - 69 village

51% to 100 % - 90 village

**चौधरी रणबीर सिंहः** स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने जवाब देते हुए बताया कि फ्लडज आये तो सरकार यह करती हैं और उसकी देने का क्राईटेरिया यह हैं और अगर ड्राट हो जाये तो उसका रिलीफ देने का क्राईटेरिया यह हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो क्राईटेरिया बताये हैं वह फैसला सरकार का कब हैं और क्या जो सरकार का पहला फैसला था उसको बीच में बदला नही गया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** सरकार की जो इस बारे में इन्सट्रक्शन्ज हैं उनमें कोई तबदीली नहीं की गई। लैंड मेनुअल जो हमारा हैं उसके तहत यह देखने के लिये किसी जिला में आर्डिनेरी और ऐक्सट्रा आर्डिनरी कलैमिटी कितनी हैं डी0 सी0 और कमिशनर रिपोर्ट भेजते हैं। अगर ड्राट की इनटैंसिटी तीन कापस से कम हैं तो उस को आर्डिनेरी ट्रीट किया जाता हैं और अगर ड्राट तीन कापस में लगाातार पड़ता रहे और फ्लड एकदम से आ जायें तो उसे ऐक्स्ट्राआर्डिनरी ट्रीट किया जाता हैं।

**राव वीरेन्द्र सिंहः** क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि इन रिलीफ देने के रूल्ज के मुताबिक कितने परसेंट किसी गांव में नुकसान हो तो उसे ड्राट किया जाता हैं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** जहां तक ससपेंशन ऐण्ड रिमिशन आफ लैंड रेवन्यू का सवाल हैं उस में कुछ रूलज् बने हुए हैं कि कितने परसेंट पर इतना रिलीफ मिलता हैं और 25 से 49 फीसदी नुकसान तक इतनी रिमिशन दी जाती हैं और 50 से 74 फीसदी तक इतनी रिमिशन दी जाती हैं। आम तौर पर हर केस मैरिट पर देखा जाता हैं और जैसा मैंने बार–बार कहा हैं कि रिमिशन वहां दी जाती हैं जहां ड्राट लगातार तीन कापस से पड़ता आ रहा हो और वहां पर गवर्नमेंट ने फेमिन डिकलेयर कर दिया हो। महेन्द्रगढ़ में फेमिन डिकलेयर नहीं किया गया था।

**राव विरेन्द्र सिंहः** क्राइटेरिया रूल्ज के मुताबिक तय होता हैं या लोकल अफसरों या मिनिस्टरों के कहने पर होता हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** रूल्ज के मुताबिक होता हैं।

**राव विरेन्द्र सिंहः** वह रूल्ज क्या हैं? 25 फीसदी से ऊपर नुक्सान पर आप कितना रिलिफ देते हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह मैनुअल दिया हुआ हैं।

**राव विरेन्द्र सिंहः** यह मैनुअल में नही इन्सट्रकशन्ज में हैं। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को यह भी पता नहीं कि मैनुअल में कोई क्राईटेरिया ऐसा नहीं हैं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैनुअल में सारी इन्सट्रक्शन्ज दी हुई हैं कि कब आर्डिनर और ऐक्सट्रा आर्डिनरी ट्रीट होता हैं।

**राव विरेन्द्र सिंहः** मै तो रिलीफ की बात कर रहा हूं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** ससपेंशन के लिये परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता।

**चौधरी रणबीर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले का जो सरकार का फैसला था कि जहां भी और जिस गांव में भी 50 फीसदी से ज्यादा खराबा होगा चाहे वह एलडज से वो चाहे फेमिन से हो वहां पर तमाम लैंड रेवन्यू और आबियाना माफ किया जायेगा और जहां पर 25 से 50 फीसदी

तक खराबा होगा वहां पर आधा माफ किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि क्या संयुक्त पंजाब या हरियाणा केबिनेट का फैसला था या नहीं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** इस प्रकार का फैसला नहीं हैं लेकिन अगर नुकसान ज्यादा हो और डी0 सी0 रिकमैंड करें कि स्पैशल इन्सट्रक्शनज् लागू होनी चाहिये तो स्पैशल इन्सट्रकशनज् के तहत माफ हो सकता हैं। आर्डिनरी रूल्ज के मुताबिक सिर्फ ससपेंशन मिलती हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि जिस मंत्रिमण्डल में वे मन्त्री थी और मैं उसका सदस्य था क्या उस मन्त्रि मण्डल ने यह फैसला किया था? और अगर किया था तो क्या सरकार ने उस कैबिनेट के फैसले को बदल दिया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे नोटिस चाहिए।

**राव वीरेन्द्र सिंहः** क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि ड्राट और फ्लड की हालत में कैबिनेट इस बात का फैसला नहीं करती कि कहां–कहां कितनी–कितनी ग्रांट दी जाय, कितना–कितना रिलीफ प्रोवाईड किया जाय?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** आम तौर पर डिपार्टमेंट्स लिख कर भेजते है कि कहां पर सहायता दी जाय। डिप्टी कमिश्नर भी

भेजते हैं, उसके बाद फाईनेंन्स डिपार्टमेंट में केस जाता हैं और फिर रिलीफ दिया जाता हैं।

**श्री मंगल सैनः** क्या वित्त मंत्री महोदया बतायेंगी कि रिलीफ देने की जो व्यवस्था हैं। यह बहुत पुराना हैं और क्योंकि आज और उस वक्त की मंहगाई में बहुत अन्तर पड़ गया हैं? इसलिए क्या उस रूल या कोड में परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैंने आप की सेजशन नोट कर ली हैं।

**महन्त गंगा सागरः** क्या यह सच हैं कि झज्जर तहसील के जो परमानेट फ्लड इफैक्टिड एरियाज हैं उनको सरकार रिलीफ नहीं दे रही हैं क्योंकि सरकार लैंड रेवेन्यू और लोन रिकवर करने के लिए लोगों पर बहुत जोर डाल रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं? मैंने यह सवाल इसलिए पूछा हैं कि हाउस में रिलीफ की बात चल रही हैं और कहा हैं कि परमानेंट फ्लड इफैकिटड एरियाज को सरकार रिलीफ दे रही हैं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह बात विचारधीन हैं।

**महन्त गंगा सागरः** क्या इस मामले में सरकार डिस्क्रिमिनेशन करने का विचार तो नहीं रखती?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होगा।

**राव वीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, मैंने एक सीधा सा सवाल किया हैं और उस का जवाब दिलवायें कि क्या सरकार ने यह फैसला नहीं किया हैं कि किस–किस तहसील में कितना रूपया ग्रांट के रूप में दिया जाय? क्या कोई रकम मुकर्रर की गई है?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** कैबिनेट ने तो नहीं किया, मैंने और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ने मिलकर किया हैं।

**राव वीरेन्द्र सिंहः** किस–किस तहसील के लिए कितनी–कितनी रकम रखी हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैं आपको सारी इन्फर्मेंश दे देती हूं। जहां तक ड्राट इफैकिक्टड एरिए में सड़के बनाने का सवाल हैं इसके लिए 1 करोड़ 60 लाख से अधिक रूपया दिया हैं और रिलीफ वर्क्स के लिए 19,65,900 रूपये दिये हैं। यह सारा रूपया हिसार डिस्ट्रिक्ट में दिया गया हैं।

**राव वीरेन्द्र सिंहः** मैंने तहसीलवाईज पूछा हैं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मेरे पास डिस्ट्रिक्टवाईज फिगर्ज हैं, तहसीलवाईज नहीं हैं। मैं बता रही थी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए 19,65,900 रूपया दिया गया। महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 9 लाख 60 हजार रूपया दिया गया। फौडर के लिए हिसार डिस्ट्रिक्ट में 3 लाख 78 हजार रूपया दिया गया और महेन्द्रगढ़ के लिए 2 लाख 72 हजार रूपया दिया गया। मेन्टेनेंस आफ स्टडबुल्ज के लिए 39 हजार रूपया हिसार डिस्ट्रिक्ट और 11 हजार रूपया महेन्द्रगढ़

डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया। इसके इलावा वाटर सप्लाई का शेयर गवर्नमेंट ने अपने पास से दिया। कुछ केसिज में एनिमल हसबेंडनी को कैटल्ज के लिए और डायरैक्टर आफ हैल्थ सर्विसजि को भी कुछ रूपया दिया गया सब से ज्यादा पैसा रोडज की कंस्ट्रकशन के लिए दिया गया हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, इन्होंनें फरमाया हैं कि रिलीफ वर्क्स के लिए 19 लाख रूपया हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए और 9 लाख रूपया महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेजिज इफैक्डि थे और महेन्द्रगढ़ जिले में कितने इफैक्टिड थे। यह मुझे डिस्ट्रिक्टवाईज ही बता दें।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** हिसार में इफैक्टिड विलेजिज की कुल संख्या 1068 हैं और महेन्द्रगढ़ की 559 हैं।

**राव बीरेन्द्र सिहंः** क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा बतायेंगी कि जहां 25 फीसदी से कम नुक्सान होता हैं, क्या उसको रिलीफ देने को कोई कायदा हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैंने आप को बताया हैं कि रिलीफ देने के लिए जहां पर रिमिशन और ससपेन्शन आफ लैड रेवेन्यु होता हैं वहां पर परसेंटेज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिन का 25 फीसदी नुकसान हुआ हैं उनको रिलीफ दिया जाये।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मैंने तो पूछा हैं कि जहां पर 25 परसेट से कम नुकसारन हुआ हैं उस एरिये को फैमिन इफैक्टिड एरिया डिकलेयर किया जा सकता हैं या नहीं

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** नहीं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** अगर नहीं तो आपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांवों की संख्या एक हजार से ज्यादा कैसे बताई हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, ये दो चीजें को मिक्स–अप कर रहे हैं, कन्फूयज कर रहे हैं,। इन्होंनें रिलीफ के लिए पूछा था और मैंने बता दिया हैं कि इसके लिए अलग–अलग इन्स्ट्रक्शन्ज हैं एक तो ससपेंन्शन आफ लैंड रेवेन्यू हो जाता हैं। रिलीफ जो दिया गया हैं वह लोकल डिवैल्पमेंट के तहत दिया गया हैं। दूसरी बात यह हैं कि विलेजिज कितने डैमेज हुए हैं वह फिगर मैंने दे दी हैं और रिलीफ पर जो रूपया खर्च हुआ हैं वह भी आपको बता दिया हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मेरा सीधा सा सवाल हैं जिस को आप मिक्स अप कर रहे हैं। 25 फीसदी से कम नुकसारन वाले इलाके को कभी रिलीफ नहीं दिया जाता।

**श्री अध्यक्षः** यह टोटल में से निकाल दें।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** निकालने के बाबजूद भी जो बाकी हैं क्या वे रूल्ज के मुताबिक हैं, अगर हैं तो जिला महेन्द्रगढ़ और हिसार में कितने हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** 50 परसेंट के ऊपर के महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 520 गांव हैं और हिसार डिस्ट्रिक्ट में 384 गांव हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, यहां पर डिस्किकमिशेन हुई हैं। 384 गांवो को जो कि 50 फीसदी इफैकिटड एरिया हैं उसको 19 लाख रूपया ग्रांट के लिए दिया गया हैं और जहां पर पांच सौ से ऊपर गांव हैं उनको 9 लाख रूपया दिया गया हैं। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि क्या इन के पास कोई शिकायत आई हैं जिस में बहुत से लोगों ने शिकायत की हो कि हमारा इलाका फमिन इफैकिटड होते हुए भी तहसीलदार ने फैमिन स्ट्रिकन एरिया डिकलेयर नहीं किया क्योंकि हमने कांग्रेसियों को राय नहीं दी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अगर फैमिनी स्ट्रिक्न डिकलेयर हो जाता तो बहुत मुश्किल आ जाती क्योंकि वहां पर डेढ़ रूपया वेज का दिया जाता। हम महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तीन, पौने तीन रूपए वेज देते हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास, चाहे फाईनेन्स मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, उन के

पास कोई शिकायत आई हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हैं? क्या लोगों ने नहीं लिखा हैं कि फलां–फलां इलाके में फैमिन पड़ा हुआ हैं लेकिन उनकी असैसमेंट नहीं की हैं? क्या कोई ऐसी शिकायत आई हैं?

**मुख्य मंत्रीः** इसके लिए आप नोटिस दें। अगर आप पर्टिकुलर डेट और दरखावास्त का नाम लें तो बता देंगे।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** क्या हरियाणा के गवर्नर साहब की तरफ से इस बारे में आपको कोई रिप्रैजेन्टेशन नहीं मिली?

**श्री बंसी लालः** गवर्नर साहब की तरफ से क्या मिला, क्या नहीं मिला यह बतायेंगे अगर राव साहब स्पैसिफिक इंस्टानसीज देंगे। जनरल बातें तो सवाल के जवाब में नहीं जा सकती।

**Mr. Speaker:** This question relates to floods and famine relief and I think generally speaking the Leader of the Oppostion is asking whether it is in the notice of the hon. Finance Minister or the Leader of the House if any allegations or complains or appeals have been made to them or received by them.

**श्री बंसी लालः** स्पीकर साहिबा, नोटिस देने पर ही यह बताया जा सकता हैं। वैसे तो अपोजीशन रोज ही कहते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने यह नहीं किया वह नहीं किया। General allegation is always there.

**Rao Birendedr Singh:** Sir, I will refesh the memory of the hon. Chief Minister. चीफ मिनिस्टर साहब आज कल किसी चीज को याद नहीं रखते हैं। इसलिए मुझे ही इन्हें याद दिलाना पड़ेगा। तो स्पीकर साहब, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या गर्वनर साहब ने फैमिन के दिनों महेन्द्रगढ़ और गुडगांव डिस्ट्रिक्टस का दौरा करने के बाद लोगों की कोई रिप्रैजेन्टेशन जो उन्हें वहां दी गई थी आपको भेजी थी?

**श्री बंसी लालः** स्पीकर साहब, एक बार जबानी कहा था कि राव बीरेन्द्र सिंह की शिकायत हैं कि महेन्द्रगढ़ में डिसक्रिमिनेशन हो रहा हैं। राव साहब को यह कहा था कि जाटों के गावों में काम हो रहा हैं अहीरों के नहीं हो रहा जबकि हकीकीत यह नहीं थी। इलाके की कोई शिकायत नहीं थी, वह तो सिर्फ कोम्युनिटी बेसिज पर राव साहब की शिकायत थी।

**राब बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल ब्यानी कर रहे हैं। शिकायत यह थी और इनको अच्छी तरह से मालूम हैं कि जिन गांवो ने कांग्रेस को वोट दी थी वहां फसल होते हुए भी बेशुमार रिलीफ दिया गया मगर जिन गांवों ने कांग्रेस को वोट नहीं दी थी वहां तबाही होने के बावजूद भी एक पैसा रिलीफ नहीं दिया गया।

**श्री बंसी लालः** हमने किसी के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं दिया। जिस जगह जो काम होना चाहिए था वह वहां किया गया हैं।

Mr. Speaker: Now that the hon. Leader ot the Oppostion has given the date or the time, i.e. immeniately after Governor's tour. इसका जवाब आ जाना चाहिए। अगर.....

आज फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा को मालूम नहीं होगा, फिर बता देंगी।

**श्री बंसी लालः** जैसे मैंने अर्ज की, गवर्नर साहब को राव साहब ने यह कहा था के जो गांव हैं उन में तो काम हो रहा हैं मगर अहीरों के गांवों में नही हो रहा हैं। कौम्युनल बेसिज के ऊपर इनकी शिकायत थी जो अपोजीशन के मैंम्बरों की हुआ करती हैं अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी।

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के बजटों में हर साल कैलमिटी के लिए जो पैसा रखा जाता हैं उसके ऊपर लैंड की जो धारा इन्होंनें बताई वह लागू होती हैं या उसके बगैर उस पैसे में से इमदाद दी जा सकती हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, बजट की चीज और हैं। बजट में तो जितना पैसा रखा गया हैं उससे हमारा टारगैट इन्होंनें बताई वह लागू हो गया था। ये तो केवल रूल्ज हैं और इन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हिन्दुस्तान की सरकार कलेमिटीज के लिए, चाहे फ्लड हैं या चाहे फैमिन हैं, किस असूल पर प्रदेश सरकारों को सहायता देती हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह चीज फाईनैन्स कमीशन अपनी रिपोर्ट में दिया करती हैं। हिन्दोस्तान की सरकार हर पांच साल के बाद फाईनैन्स कमीशन को बनाती हैं। इस साल तो जल्दी भी बना दी थी। यह स्टेट गवर्नमेंट्स के पिछले पांच साल के खर्च की एवरेज निकालती हैं। इस हिसाब से जो उन्होंनें हरियाणा का खर्च निकाला था वह मेरे अन्दाजे से 78 लाख बनता हैं। 1968–69 में हमने 101 लाख रूपया खर्च किया था। इसलिए हमें कोई 22–23 लाख रूपया मिलना था जिस में 50 परसैन्ट सबसिडी होनी थी और 50 परसैन्ट लोन होना था लेकिन उन्होंनें हरियाणा को कुछ नहीं दिया क्योंकि उन के हिसाब से यहां की वेज एंड मीनज पोजीशन अच्छी हैं। अब की बार फाईनैन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि अगले पांच सालों तक रहनी हैं, हमारी लिमिट 150 लाख के ऊपर रखी है। इसलिए मैं समझती हूं कि फिलहाल इस मामले में कोई इमदाद हमें नही मिल सकेगी।

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि हिन्दोस्तान की सरकार अपनी हिदायतो के मुताबिक ऐसे इलाके के लिए जहां 80 लाख या एक एकड़ से कुछ ज्यादा का नुक्सान हुआ हो प्रदेश सरकार को कितनी सहायता देती है?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैंनें अभी बताया कि 1968–69 हमारा खर्चा 101 लाख रूपए हुआ जब कि 78 लाख की हमारी सीलिंग थी। तकरीबन 22–23 लाख रूपया बनता था, 14–15

लाख की सबसिडी बनती थी और 14–15 लाख का लोन बनता था। मगर हमें उन्होनें कुछ नहीं दिया क्योंकि यह इमदाद स्टेट की वेज एण्ड मीनज की पोजीशन के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारी वेज एंड मीनज की पोजीशन को देखने के लिए प्लांनिग कमीशन की एक कमेटी यहां आई थी। उसने एरियाज को विजिट करके हमं कोई इमदाद रिकामैन्ड नहीं की।

**चौधरी रणबीर सिंहः** स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदया जिस बात का जिकर कर रही हैं वह प्लान का सवाल हैं, चाहे वह पांच साला प्लान हो या एक साला प्लान हो या एक साला प्लान हो। मेरा सवाल तो असूल का हैं न कि क्वांटम का हैं। मैंने पूछा कि एक करोड़ से ज्यादा की अगर कोई तकलीफ प्रदेश में आये और उसके लिए अगर प्रदेश की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार इमदाद मांगे तो हिन्दोस्तान की सरकार कितनी इमदाद देती हैं? कितनी से मेरा परसैन्टेज से हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, फैमिन बगैरा प्लान में नहीं आते। यह रेवेन्यू एक्सपैंडिचर हैं जो नौन–प्लान साईड में आता हैं और नौन–प्लान साईड के लिए जो भी ग्रांट–इन–एड मिलती हैं गवर्नमैंट आफ इंडिया से, उसे फाईनेन्स कमीशन मुकर्रर होती हैं। 1968–69 के लिए हमारी सीलिंग 78 लाख की थी। हमने उससे ओवर एंड अबव खर्च किया लेकिन इन्होंनें हमें कुछ नहीं दिया। अब की बार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जो जुलाई में उसने दी हैं, हमारी सीलिंग बढ़ाकर 155 लाख

कर दी। अगर इससे ज्यादा खर्च होगा तो हो सकता हैं कि मदद 155 लाख की कर दी हैं। अगर इससे ज्यादा खर्च होगा तो हो सकता हैं कि मदद 155 लाख की कर दी हैं। अगर इससे ज्यादा खर्च होगा तो हो सकता हैं कि वह मदद मिले मगर मदद। वेज एंड मीनट की पोजीशन को देखते हुए ही मिलेगी। (विघन)

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मन्त्री महोदया को मालूम हैं कि इकट्ठे पंजाब में, जिसकी पोजीशन हरियाणा से ज्यादा अच्छी थी, जो 10 करोड़ रूपया इमदाद और 14 करोड़ रूपया कर्जे की शकल में आठ साल के अन्दर दिया गया था वह किस नियम के तहत दिया गया था?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मेरे ख्याल से तो नहीं दिया गया था। अगर दिया गया होगा तो देख कर बता दूंगी।

**श्री अध्यक्षः** चौधरी साहब, अगर आपको मालूम हैं तो आप ही क्यों नहीं बता देते?

**चौधरी रणबीर सिंहः** सरदार प्रताप सिंह कैंरो, जो पंजाब के अन्दर आठ साल तक मुख्य मन्त्री रहें, के समय में 24 करोड़ रूपया फ्लड और फैमिन के तहत इमदाद दी गई थी। इसमें से 10 करोड़ रूपया ग्रांट और 14 करोड़ रूपया तकाबी बगैरा लोनज के रूप में था। क्या हिन्दोस्तान की सरकार ने अब वह इमदाद देने का असूल छोड़ दिया हैं जिस के तहत यह इमदाद दी गई थी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, मेरे ख्याल से इनको मिस अन्डरस्टैंडिंग हैं। इनको रूपया कभी नहीं मिला हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अगर ऐसी बात हैं तो स्पीकर साहब ठीक तरह से मैं कल बता दूंगी।

**Mr. Speaker:** This will be looked into and the hon. Finance Minister will give a definite reply about this supplementary question tomorrow.

**श्री मंगल सैनः** स्पीकर साहब मेरी आप से एक सबमिशन हैं क्योंकि जो बात आप इन्हें कहेंगे वह भान ली जायेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले चौधरी रणबीर सिंह जी से कहा कि चौधरी साहब अगर आपको पता हैं तो आप ही बता दीजिए। मगर क्यों ही अच्छा होता अगर आप चौधरी बंसी लाल जी से भी कहते कि पहले इन्हें राज भवन में ले जाओ और ओथ दिला कर जो मर्जी कहलवाओ क्योंकि अगर इस तरह से मैंम्बर यहां पर सूचना देने लग जायें तो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। (हंसी)

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि प्लानिंग कमीशन की जो टीम हरियाणा के फैमिन इफैकिटड एरियाज को विजिट करने आई थी उसने कोई ग्रांट रिकामेन्ड नहीं की। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह

ठीक हैं कि उन्होंनें ग्रांट इस लिए रिकोमैन्ड नहीं की कि हरियाणा गवर्नमैंट ने रूल्ज के खिलाफ फजूल पैसा बरबाद किया है? There can be no other reason.

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, यह आबजैक्शन थोड़ा बहुत जरूरी था लेकिन फिर भी उन्होंनें हमारे काफी एक्सपेंडीचर को मान लिया हैं जो हमने 101 लाख रूपया खर्च किया हैं उसको उन्होंनें रिकोगनाईज किया हैं परन्तु उन्होनें हरियाणा स्टेट की फाईनेन्शयल पोजीशन को और वेज एण्ड मीनज की अच्छी हालत को देखते हुए हमने ग्रान्ट नहीं दी।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** क्या उन्होंनें ग्रान्ट इसलिए नहीं दी कि हरियाणा गवर्नमैंट ने कायदा कानून के खिलाफ पैसों को तकसीम किया और खर्च किया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** जी नहीं, ऐसी बात नही हैं। स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ खर्चे के लिये हमें एलिजिबल नहीं समझा गया। They agreed with this. But they still accepted the expenditure of Rs. 101 lakhs which was above the celling fixed by the earlier Finace Commission.

**चौधरी रणबीर सिंहः** क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि फ्लड अफैकटिड एरिया में, जैसे कैथल का एरिया हैं, उस में जो इमदाद देने का असूल था वही असूल रोहतक तहसील और दूसरे एरियाज के लिए रखा गया था? अगर उसी असूल को रखा हैं तो धामड़ वगैरह के गांव में, जिस में

पचास फीसदी एरिया खराब हैं, लैण्ड रेविन्यू क्यों माफ नहीं किया गया ?

**राव बीरेन्द्र सिंहः** अगर चौधरी रणबीर सिंह जी आपकी भी वही तकलीफ हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम अलग–अलग क्यों लड़े?

**चौधरी रणबीर सिंहः** राव साहब आप इधर आ जाओ तो ठीक रहेगा।

**Mr. Speaker:** Order please. A very importan questin is being answered.

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिस धामड़ वगैरह गांवों के नाम लिए हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। जहां तक कैथल तहसील का सवाल हैं, स्पीकर साहब , जिन्होंनें वहां के हालत को नहीं देख हैं वह इस बात को महसूस नहीं कर सकते लेकिन मैं उनकी सूचना के लिए अर्ज करूं कि कैथल तहसील के अन्दर फ्लड के टाईम पर मिल्टरी की बोटें चलीं और वह पर दस–दस फुट के करीब पानी इकट्ठा हो गया था। छः महीने तक वहां से पानी नहीं निकल सका, और लोग बड़े परेशान में रहे। वे गांव मेरी अपनी कान्स्टीच्यून्सी के भी नहीं हैं। उस में तो चार कान्स्टीच्यून्सीज आती हैं। उन गांवो करनाल जिले में दो लाख नौ हजार रूपया माफ किया गया हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदया ने कहा हैं कि धामड़ वगैरा गांवों का मामला जेरे गौर हैं। उन गांवो को 1968–69 का लैण्ड रेविन्यू वसूल हो गया हैं तो क्या वित्त मंत्री महोदया उसको वापिस दिलाने की कृपा करेंगी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** क्या आप 1969 का मामला कह रहे हैं?

**चौधरी रणबीर सिंहः** बहिन जी, वह सवाल तो 1968–69 के बार में हैं 1969–70 के बारे में नहीं हैं। स्पीकर साहब, मुझ को अश्योरेंन्स मिल गयी हैं और उम्मीद हैं कि आप मेरी मदद करेंगे। अगर वित्त मन्त्री महोदया पल्ला छुड़ा कर भागना चाहें तो दूसरी बात हैं।

**Mr. Speaker:** Not so easy from you.

**श्रीमति शकुन्तलाः** स्पीकर साहब, आप के जरिए मै वित्त मन्त्री महोदया से पूछना चाहती हूं कि मेरे हल्के साल्हावास तहसील झझर में हर साल 15 गांवों में बुरी तरह से पानी भर जाता हैं परन्तु उनके बारे में आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं और न ही उस एरिया के लिए कोई पैसा दिया गया हैं। यदि नहीं दिया गया हैं तो उसका क्या कारण हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जवाब देना तो मुश्किल हैं अगर नोटिस दें तो बतला दिया जायेगा।

Mr. Speaker: I know of one thing. that there are a number are a number of such villages in her constituency and her difficulties are both, floods and famine.

**श्रीमति शकुन्तलाः** स्पीकर साहब पिछले दस सालों से मेरे हल्के में फलड का पानी आ रहा हैं। पिछली बार भी मैंने विधान सभा में इस सवाल को उठाया था लेकिन उस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** क्या आपने कोई चिट्ठी वगैरह लिख कर दी हैं?

**श्रीमति शकुन्तलाः** आपकी कोठी में आ करके थोड़े ही बात करनी हैं। आप यहां सदन में ही जवाब दें।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मेरे पास कोठी पर आने में तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। (हंसी)

**श्रीमति शकुन्तलाः** स्पीकर साहब मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्षः** वे कहती हैं कि गौर करेंगे I am sure she will do something

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** आप लिख कर भेज दे।

**श्री अध्यक्षः** आप लिख कर भी भेज दे, शकुन्तला जी।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने फैमिन और फ्ल्ड रिलीफ के बारे में बताया हैं कि बजट की सीलिंग से काफी ज्यादा पैसा खर्च किया हैं। इन्होंनें अभी यहां हाउस में यह भी बताया हैं कि कैबिनेट में इस पैसे को खर्च करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया। मगर चीफ मिनिस्टर साहब ने और ओम प्रभा जी ने ही फैसला कर लिया। मैं वित्त मंत्री महोदया से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होनें बजट के बाहर कोई पैसा खर्च किया हैं तो क्या वह बगैर कैबिनेट के डिसीजन के खर्च कर सकता हैं? (विद्युत एंव सिचाई मन्त्री की ओर से विघन)

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** जनाब यह तो रूल्ज की बात हैं और फिर सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स भी बाद में आ जाते हैं।

**राव बिरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, मेरा तो सीधा सा सवाल हैं कि क्या इन्होनें जो खर्च किया हैं वह कैबिनेट के डिसीजन के बगैर ही किया हैं?

**Mr. Speaker:** I think, the answer is clear.They admit what you have said. Indirectly she has admitted that. Then they have said that supplementary estimates are also sanctioned lalter on.

**Rao Birender Singh:** No, Sir, It is a question of rules of procedure of working of the Government. I want to know whether they have ignored those rules ?

**Mr. Speaker:** I think, as per Mr. Poswal, they seem to have given the authority to these two.

**Rao Birender Singh:** No, Sir, It cannot be given.

**Sh. Bansi Lal:** It can be given.

**Rao Birender Singh:** It cannot be given.

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अध्यक्ष महोदय, राव साहब तो बहुत पुराने पार्लियामेटैरीयन हैं। उनको पता है कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेंट्स हमेशा आया करते हैं और हर डिपार्टमैंट अपनी एस्टीमेटीड भेजता हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई एक्सेस डिमान्ड आ जाती हैं यानी वह ज्यादा भेजता हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई एक्सेस डिमान्ड आ जाती हैं यानी वह ज्यादा पैसा खर्च कर देता हैं तो नार्मल रूल ऐंड प्रोसीजर के मुताबिक यह फैसला केबिनेट में नही जाता हैं।

**चौधरी चान्द रामः** स्पीकर साहब गवर्नमेंट वरकिंग के डेफिनेट रूल होते हैं क्या उस रूल को ओबजरब किया गया हैं?

**श्री बंसी लालः** पूरी तरह से ओबजरव किया गया हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब मेरी तो सीधी सी बात हैं कि क्या इन्होंनें फालतू खर्च करने के लिए कैंबिनेट में डिसीजन लिया हैं अथवा नहीं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** कुछ रूल और प्रोसीजर होते हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मेरा यही तो सवाल हैं कि रूल और प्रोसीजर के मुताबिक यह कैबिनेट में आना चाहिए था या नहीं?

**श्री बंसी लालः** स्पीकर साहब, इसमें झगड़े की क्या बात हैं, रूल तो पढ़े जाते हैं। कोई रूल्ज क्वैश्चन में तो आन दी फ्लौर आफ दी हाउस बताये नहीं जाते। ये रूल को पढ़ सकते हैं।

**श्री मंगल सैनः** स्पीकर साहब, केबिनेट में डिसीजन नहीं हुआ। आप देखिए कितनी रूल की वायलेशन कर रहे हैं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब, यह कैबिनेट तो एक कार में बैठ कर काम कर लेती हैं आपकी कैबिनेट की तरह से इसे बसों या बड़े–बड़े कमरों की जरूरत नहीं पड़ती।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** यह फैसला जो आपने कार में ही बैठ कर लिया होगा। (विघन)स्पीकर साहब ये रूल को इग्नोर करते हैं। इन्होंनें तो जमुहूरियत का तमाशा बनाया हुआ हैं, जनाजा निकाला हुआ हैं। डाक्टर मंगल सैन के मुताबिक आप उनको प्रोटैक्शन दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्षः** देखिए, राव साहब मैंने कोई प्रोटैक्शन नहीं दी हैं। उन्होंनें जो फैसला किया हैं वह चीफ मिनिस्टर साहब ने और वित्त मंत्री महोदय जी ने लिया हैं। पोसवाल साहब के कहने के मुताबिक उन्होनें उनको अथोराईज किया हुआ हैं।

**श्री बंसी लालः** स्पीकर साहब, यदि हमने कोई कानून कायदे के खिलाफ पैसा खर्च किया हैं तो वह आडिट रिपोर्ट में आ जायेगा।

**श्री अध्यक्षः** यह मानते हैं कि उस वक्त कैबिनेट डिसीजन नहीं लिया गया।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** उस वक्त नहीं लिया।

**श्री अध्यक्षः** बाद में लिया हैं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** स्पीकर साहब इस बात को भी चैक करने बतला दिया जायेगा।

**राव बिरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, यह गलत बयानी पर गलत बयानी कर रहें हैं। खड़े होकर जवाब देते नहीं। पोसवाल साहब ने जो कहा हैं वह बगैर रिकार्ड के हैं। उन्होंनें बाद में उसको मान लिया हैं। उन्होंनें कोई रिसपांसिबिलटी से जवाब नहीं दिया हैं लेकिन इस चीज को ढकने के लिये ये अब उस बात को कह रहे हैं।

**श्री बंसी लालः** अगर कोई बेकायदगी हुई होगी तो अकाउन्टेन्ट जनरल साहब को पकड़ेंगे।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** अकाउन्टेन्ट जनरल साहब क्यो पकड़ेंगें, हम पकड़ैगे।

**Mr. Speaker:** I will get you the answer to this tomorrow.

**Rao Birender Singh:** Right Sir, मगर स्पीकर साहब, इन्होंनें जो कुछ गलत बयानी की हैं उसके लिए तो बरीच आफ प्रीविलेज का क्वैश्चन बनेगा। इस चीज से ये नहीं बच सकते। ये सारी गलत बयानी करते हैं। और अब कहते हैं कि चैक करके बतलायेंगें ये गलत बयान देते ही क्यों हैं?

**श्री अध्यक्षः** बयान तो आने दो।

**चौधरी अब्दुल रजाक खांः** स्पीकर साहब, जिला गुडगांव की तहसीलों नूह और फिरोजपुर झिरका में सन् 58 से बराबर फ्ल्ड आते रहे हैं और इस साल भी सब से ज्यादा फ्ल्ड सइ एरिया में आया हैं और हमारी सारी कैबिनेट ने उस एरिया का दौरा किया हैं। तो क्या बजीर साहिबा, यह बतायेंगी कि उन्होंनें उस एरिए की क्या इमदाद की हैं ओर अगर की हैं तो किस–किस किस्म की हैं और नहीं की हैं तो क्यो नहीं?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** वैसे सवाल में वर्ष 1969 के बारे में नहीं पूछा गया था। लेकिन मेरे पास एक सरसरी इन्फर्मेशन हैं वह मैं दे देती हूं जो इस प्रकार हैं–

| | |
|---|---|
| Rs. 60000 | for giving grants for the repair of damaged houses in Rohtak District. |

Rs. 1,00,000 for providing gratuitous relief to the flood- affected people in Gurgaon District.

Rs. 91,000 for constructing a Drain in Rohatak to safegurad the Rohatk town.

Dewatering operations were undertaken and for that Rs. 3 lakh were given for Rohtak District; Rs 1 lakh for Gurgaon and Rs. 28000 Jind

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, वे तो गुडगां0 के मेवात के इलाके का जिक्र कर रहे हैं।

**Mr. Speaker:** I think, Om Prabha Ji, you can answer this question tomorrow. As far as I can see, I am also not clear.

**चौधरी अब्दुल रजाक खांः** जब लोगो का यह हाल हैं कि वे पानी से घिर जायें, घर छोड़कर चले जाएं, दूसरी जगह पनाह लें, घर व सामान आदि बरबाद हो जायें और उस वक्त मदद न मिले और वह रकम रिर्जव रख कर बाद में वह काम किया जाय तो वह काबिल सराहना नहीं होता। छे महीने तक तो वे चारे और गल्ले आदि से परेशान रहे और वक्त पर मदद न की गई लेकिन अब यदि कुछ करेंगे तो हो सकता हैं उसमें कोई चाल हो। खैर, मैं जानना चाहता हूं कि वहां अब तक कितनी इमदाद दी गई?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह फिगर मैं कल दे दूंगी।

**चौधरी अब्दुल रजाक खां:** जहां 10 करोड़ का नुकसान हो वहां आप एक आध लाख की बात करके क्या करेंगी?

**Mr. Speaker:** You will get answer to this question tomorrow.

**श्री बंसी लाल:** मेवात का जो इलाका हैं उस में फ्लड को रोकन के लिए तीन जगह डैम बनाने की स्कीम हैं। 20 लाख रूपए की लागत से एक डैम इसी साल शुरू हो चुका हैं और अगली बारिश से पहले ही तैयार हो जाएगा।

**चौधरी अब्दुल रजाक खां:** मैं मानता हूं कि सरकार ने एक बांध की स्कीम शुरू कर दी हैं। लेकिन वह बांध बार्डर से तीन मील के फासले पर हैं जब कि फ्लड का पानी 100 मील के रकबे में 10 फुट तक चढ़ जाता हैं। तीन मील के रकवे में पानी कैसे रोक सकेंगे जब कि उसके अन्दर 15–16 देहात हैं और वह सारा प्लेन एरिया हैं। अगर वहां बांध न बंधा तो वहां 15–20 फुट पानी खड़ा हो जायेगा और लोगों को हटवाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कहा हैं कि हमने प्लान बनाया हैं लेकिन वह प्लान खतरनाक हैं।

**श्री बंसी लाल:** आनरेबल मैम्बर का कहना दूरस्त हैं कि एक बांध से काम नहीं चलेगा। हम दो जगह और भी बांध बनायेंगे। वहां भी प्रबन्ध करने वाले हैं। यह स्कीम अन्डर एग्जामीनेशन हैं। जल्दी ही वह स्कीम तैयार हो जाएगी। खाली एक बांध से काम नहीं चलेगा यह कहना दुरूस्त हैं।

**Mr. Speaker:** That is a separate issue, I am afraid.

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक हैं कि मेवात मे जिस जगह ज्यादा विलेजिज अफैक्टिड हैं वहां का पानी सिर्फ यू0 पी0 के इलाके में निकल सकता हैं, यदि ऐसा होता तो क्या इन्होंनें यू0 पी0 सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की मारफत यह फैसला कर लिया हैं कि वह इलाके के पानी की निकलने की इजाजत देंगे?

**श्री बंसी लालः** हमारी एक मीटिंग दिल्ली में सेन्टर के इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में हुई थी जहां यू0 पी0 के नुमायन्दे भी थे। उन्होनें इसके लिए 4/5 करोड़ रूपए हरियाणा से मांगे थै उन्होंनें कहा था कि देने की बात नहीं मानी क्योंकि हमारे इंजिनियर का ख्याल था कि इस काम पर एक या डेढ़ करोड़ रूपया खर्च आएगा। इसके बाद डा0 खोसला को अर्बीटरेटर मुकरर किया गया था कि किस जगह पानी डाला जाय। उसका फैसला आने वाला हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हरियाणा स्टेट की वेज और मीनज की पोजीशन काफी अच्छी थी इसलिए सेंटर ने मदद नही की। मैं उन से पूछता हूं कि क्या यह सच नहीं हैं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया जो असूल हैं मदद देने का, चाहे फूल्ड के लिए या फेमिन के लिए, उसके अन्दर कोई प्लैंड स्कीम नहीं डालनी चाहिए और इमदाद देनपा हिन्दुस्तान की सरकार ने इसलिए बंद किया

चूंकि किसी प्लैंड स्कीम की इमदाद फल्ड और फैमिन रिलीफ क्लेमिटी फंड से लेना चाहते थें?

**श्री बंसी लालः** मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैम्बर का यह कहना दरूस्त हैं कि अगर प्लैंड स्कीम पर रूपया खर्च किया जाय, तो वह क्लेमिटिज की स्कीम में नहीं मिलता लेकिन हम ने नान–प्लैन्ड में भी थोड़ा बहुत काम हो गया हो जो लोगों को रोजगार देने के लिए किया गया हो, तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हकीकत यह हैं कि, जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि पिछले साल हमारी लिमिट तो थी 78 लाख रूपये की मगर हमने 78 लाख रूपये से ज्यादा खर्च किए। उन्होंनें कहा कि कच्ची सड़क के बनाने के लिए देंगे उस पर पक्की रोड़ी डालने के लिए नहीं देंगे, कोई स्कूल हैं उसकी दीवार टूटी पड़ी हैं तो उसके लिए अगर काम लगा दिया तो नहीं देंगे और भी कई आइटम्ज थे जिनके ऊपर वे एग्री नहीं करते। इसी वजह से यह दिक्कत रही लेकिन इसी दौरान में जो अब नया फाईनेंन्स कमीशन बना उसने हमारी लिमिट डेढ़ करोड़ रूपया मुकर्रर कर दी हैं।

**महन्त गंगा सागरः** अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन हैं कि कल क्योंकि वित्त मन्त्री महोदया कई प्रश्नों का जवाब देंगी इसलिए मैं तहसील झज्जर के बारें में तफसीलवार पूछना चाहता हूं कि कितने परसेंट कापस को वहां फल्ड और फैमिन से नुकसान हुआ हैं और कितनी वहां मदद दी गई फैमिनी रिलीफ के तहत?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अगर मुझे हर जगह जवाब देना हैं तब तो स्पीकर साहब इसके लिए सैपरेट कवैशन आना चाहिए।

**Mr. Speaker:** This is not a supplementary question. It is a requst and it is upto you to accept it or not.

**महन्त गंगा सागरः** मेरी अर्ज यह हैं कि दो तीन मेम्बरान की तरफ से इसी तरह की रिक्वैस्ट आई हैं और वित्त मंत्री महोदया ने कहा हैं कि मैं उन के जवाब कल दूंगी। आनरेबल मेम्बर अब्दुल रजाक ने भी इसी तरह का बड़ा ही सिम्पल क्वैश्चन पूछा था और उसके जवाब में इन्होंनें परसेंटेज की डिटेल पढ़कर अभी अभी सुनाई हैं। झज्जर तहसील के नुक्सान की इनके पास अब भी परसेंटेज होगी, यह उसे पढ़कर सुना दें। मैं किसी एक गांव के बारे में नही पूछ रहा हूं। सारी तहसील की जो हमेशा से फल्ड और फेमिन के अन्दर मशहूर हैं, पूछ रहा हूं। स्पीकर साहब आप भी तो तहसील झज्जर के निवासी हैं और आप इन सारी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए कृपया मुझे इसका जवाब दिला दीजिए।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अगर मेरे पास सूचना होती तो जरूर पढ़ कर सुना देती।

**Mr. Speaker:** I will get you this information sometime but not tomorrow.

**चौधरी लाल सिंहः** स्पीकर साहब, आपको तथा सरकार को पता हैं कि मेरे हल्के में बहुत सी नादियां ऐंगर स्पीड में

चलती हैं और इसमें खेती का बहुत नुक्सान होता हैं लेकिन चूंकि सरकार का विचार हैं कि इस दिशा में तेजी से काम किया जाय इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे बचने के लिए सरकार परमानेंट डैम बनाएगी और अगर बनाएगी तो जब तक लोगों की खेती नदी गिराती रहेगी तब तक उन लोगों को सरकार मदद देती रहेंगी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह तो अलग ही सवाल हैं। इस समय तो यह अराईज नहीं होता।

**मलिक मुख्तियार जैनः** अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हैं कि क्वैश्चन का नाम लेकर सप्लीमेंटरीज पर कुछ मेम्बर बहस शुरू कर देते हैं। हमें समय ही नही मिलता। कुछ मेम्बर्ज को बहुत समय दिया जाता हैं। It is unfortunate that I have not been able to catch yours eye.

**चौधरी रणबीर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री ने एक बात कही थी तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्लैमेटीज के वक्त में जिन योजनाओं के लिए या जिन कामों के लिए हिन्दोस्तान की सरकार सहायता देती हैं जैसे माफी के लिए या काई अनाज के देने के लिए या रोजगार देने के लिए तथा जो बेकार आदमी हो जाते हैं उनको रोजगार देने के लिए, तो क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा लगायेगी और खर्च करेगी ताकि सेंटर की सरकार से ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** जिन स्कीमों को गवर्नमैंट आफ इंडिया से मदद मिलती हैं उनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।

**Mr. Speaker:** Ch. Mukhtiar Singh, I saw you once or twice. I thought in the meantime.....

Malik Mukhtiar Singh: Only once or twice, Sir?

**Mr. Speaker:** Yes. Then I thought that your supplementary probable was asked by somebody by somebody else and you did not want to ask (Laughter...) But no ill-will was there.

**मलिक मुख्तियार सिंहः** स्पीकर साहब, अफसोस यह हैं कि कई मैम्बर स्पीच ही देने लग जाते हैं तथा सप्लीमेंटरी क्वैश्चन नहीं करते। एक–एक सप्लीमेंटरी के ऊपर डीबेट भी शुरू हो जाता हैं। एक ही क्वैशन में सारा टाईम खत्म हो जाता हैं। स्पीकर साहब, अभी–अभी चौधरी रणबीर सिंह के सवाल के जवाब में हमारी फाईनेन्स मिनिस्टर महोदया ने बताया था कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट की ओर से जो ग्रान्ट वगैरह या इमदाद फल्ड रिलीफ या फैमिन रिलीफ के बारे में दी जाती हैं वह फाईनैन्स कमीशन द्वारा मुकर्रर की जाती हैं और उसके लिए स्टेट केस को पेश करती हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जब पिछली बार फाईनैन्स कमीशन के सामने आपने अपना केस रखते हुए अपनी स्टेट की फाईनैंशल पोजीशन यानी वेज एन्डमीनज बहुत बराइट

बताये थे, या इसलिए कि आप अपने केस द्वारा उनको कनविन्स करने में असमर्थ रहीं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** देखिये जी, केस तो हमने बहुत अच्छे ढंग से प्लीड किया था, कोई कसर छोड़ी नहीं थी। एकाउण्टेंट जनरल के पास स्टेट के सारे एकाउन्टस होते हैं, इससे उनको सारे एकाउन्टस पता होते हैं और कोई बात उनसे छिपी नहीं रह सकती।

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहब, बात यह हैं कि इसको आप स्पीच तो समझें नहीं, क्योंकि यह स्टेट का बहुत अहम मामला हैं। मैं भी कुछ दिन स्टेट में रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं और भिवानी तहसील में जो आज के मौजूदा चीफ मिनिस्टर महोदय हैं उनको साथ लेकर अकालगंस्त इलाकों में गया था। उस वक्त 3 करोड़ रूपए का एक स्टेट प्लान बनाने का मैंने आर्डर दिया था। लेकिन हमारी वित्त मन्त्री ने आज यहां पर बिल्कुल गल्त स्टेटमेन्ट दिया इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में एक हाफ एन पावर डिसकशन की और इजाजत दी जाए मैं बताता हूं कि इसके बारे में एक सरकूलर हैं उसे यह देख लें। उसी सिलसिले में चौधरी रणबीर सिंह जो भी सवाल करते रहे। यहां हर साल एमरजैन्सी होती हैं, कहीं फैमिन या फ्ल्ड रिलीफ पर खर्चा आ जाता हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया का कोई लैटर हैं कि किसी स्टेट में अगर एक करोड़ रूपए से ज्यादा फैमिन या

फ्ल्ड रिलीफ पर खर्च होगा या सर्टन लिमिट से ज्यादा खर्च आयेगा तो मरकतज की सरकार उसको 75 परसेंट ग्रान्ट देगी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मेरे पर्सपनल में तो ऐसा कोई सरकूलर नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं चौधरी चान्द राम और चौधरी रणबीर सिंह की सेटिसफक्शन के लिये कल इस बारे में बिल्कुल तसल्लीबख्श जवाब दूंगी।

**चौधरी चांद रामः** क्या सरकार इस बात को पेशेनजर रखते हुए कि इस हाउस में इस प्रश्न पर बड़ी बैचेनी हैं, हाउस में एक कमेटी मुकर्रर करने के लिये तैयार हैं जो यह देखें कि अकालग्रस्त इलाकों में तथा बाढ़ वाले इलाको में एक सा सलूक हुआ हैं कि नहीं हुआ हैं? कि नहीं हुआ हैं? इसके अलावा क्योंकि सारे हाउस के मेम्बरान को इस बारे में शिकायत हैं तो क्या सरकार इस बात को पेंशेनजर रखते हुए जांच कराने के लिए तैयार हैं ताकि स्टेट की एक प्लान बन जायें और हमेशा के लिए अकाल और बाढ़ जो हैं, वह खत्म हो जाय ?

**श्री बंसी लालः** स्पीकर साहब, कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं लेकिन चौधरी चांद राम ने जो एक बात कही कि क्या कोई लाज ऐसे हैं कि हर स्टेंट में एक ही प्रिसिंपल लागू होते हो, इसके बारे मे अर्ज यह हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर स्टेट के लिये अलग

अलग राशि निर्धारित की हैं। सब के लिये यह राशि एक जैसी नहीं हो सकती।

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहब, बदकिस्मती से इस बात का यहां कोई ताल्लुक नहीं हैं। फाईनेन्स कमीशन पांच साल बाद मुकर्रर होता हैं। यह तो ठीक बात हैं कि पिछले 5 सालों में क्या खर्च हुआ यह तो वह बाद में बता देंगे लेकिन इयरन टू इयर या छः महीने के बाद जो अकाल पड़ेगा, उसके लिए स्पैस्पिक सरकूलर लैटर है, मेहरबानी करके ये उसे देख लें। ये न हाउस को मिसलीड करें और न स्टेट का नुकसान करें। ये अश्योरेंस दें कि ये इस बात का जवाब देंगे।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैं कह तो रही हूं कि बता दूंगी।

**राव रामजीवन सिंहः** स्पीकर साहब, यहां पहले भी कहा गया कि साहबी नदी हमारी रिवाड़ी तहसील के वन थर्ड एरिया में से गुजरती हैं और मैं भी कहता हूं कि वह तो एक तरह से हमारे सिर गुजरती हैं और आगे वह किसी के घुटनों तथा किसी के टखनों से गुजरती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होनें इस एरिया को कोई इमदाद दी हैं? इसके बारे में वैसे उन्होनें बताया था कि कल बताया जायेगा लेकिन मैं इन से गुजारिश करूगा कि साहबी नदी का जो फ्लडीड ऐरिया हैं, उसके लिए भी बताया जाये कि उस में कोई इमदाद दी गई हैं या नहीं

और अगर नहीं दी गयी तो मैं समझता हूं कि उस एरिया के साथ यह सब से बड़ा जुल्म हैं।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** मुझे तो एक बाद की तफतीश करनी हैं कि क्या यह ठीक हैं कि इस साल फ्ल्ड और कहत में जिम्मेदारी सरकार की ही हैं, आपने देखा होगा कि इस साल ज्यादा फ्ल्ड फाइनैंस मिनिस्टर के हल्के में आया। कहते हैं कि इस दस फुट पानी यहा खड़ा हो गया, जहां पहले कभी फ्ल्ड नहीं आया था और इसी तरह सारा कहन चीफ मिनिस्टर के इलाके भिवानी पड़ गया (हंसी)

**श्री बंसी लालः** पहले तो सारा रिवाड़ी में पड़ता रहा।

**राव बीरेन्द्र सिंहः** स्पीकर साहब, क्या यह सोचने की कृपा करेंगे कि यह भगवान की सारी मार कैथल और भिवानी पर क्यों पड़ रही हैं?

**श्री बंसी लालः** यह स्पीकर साहब इसलिये कि चीफ मिनिस्टर और फाईनेन्स मिनिस्टर सारी स्टेट की आफत अपने सिर ले लेते हैं।

**चौधरी जय सिंह राठीः** स्पीकर साहब, फाईनैन्स मिनिस्टर साहिबा ने, जो पैसा महेन्द्रगढ़ और हिसार में दिया, वह तो बता दिया लेकिन मैं इन से जानना चाहता हूं कि हरियाणा के और भी ऐसे जिले हैं जिन में फ्ल्ड से या फेमिन से या किसी और तरीके से नुक्सान हुआ हैं अगर हुआ है तो क्या वहां पर भी

कोई पैसा दिया गया हैं? यदि नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** यह क्वैश्न क्योंकि महेन्द्रगढ़ और करनाल से सम्बन्धित था इसलिये यह सूचना नहीं दी गई। जो पैसा दिया गया हैं, वह मैंने बता दिया हैं, वह मैंने बता दिया हैं। अगर वह इसके लिये अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जायेगा। विघन

**चौधरी जय सिंह राठीः** मैं सबमिशन करूंगा कि वह करनाल आदि के बारे में भी सूचना दें। इन्होंनें हिसार का क्यों बताया? गुडगांव का क्यों बताया?

**श्री बंसी लालः** कल को हिसार की या दूसरे जिलों की सूचना नहीं दी जाएगी सिंर्फ उन्हीं कवैश्चनज में से जो सप्लीमैंटरीज एराईज होती हैं, उनका जवाब दिया जायेगा।

**मेजर अमीर सिंह चौधरीः** स्पीकर साहब, मैंने एक सवाल पूछा था और उस में दो इशू रेज किये थे। मैंने तो पूछा था कि फैमिन अफैक्टिड और ड्राट अफैक्टिड एरियाज जो हैं वह एट पार ट्रीट किये जा रहे हैं या नहीं? उन्होनें कहा 'नो'। इसके बाद सप्लीमैंटरी में उन्होनें बताया कि हमने तबदीली नहीं की हैं। यह आप का ही तरीका हैं। तो मैं मिनिस्टर साहिबा से नहीं की हैं। यह आप का ही तरीका हैं। तो क्या मैं मिनिस्टर साहिबा से यह पूछ सकता हूं कि अगर मैं असैम्बिलयों की प्रोसीडिग्ज के अन्दर

लाकर यह दिखा दूं कि फैमिन अफैक्टिड एरिया और ड्राट एफैक्टिड एरिया एट पार ट्रीट होते हैं तो क्या आप उसको मानेंगी?

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** मैंने यह कहा हैं कि एक्सैप्ट इन स्पैशल सरकमस्टांसिज हमेशा के लिये नहीं कहा हैं।

**मेजर अमीर सिंह चौधरीः** अगर मैं हाउस की प्रोसीडिंग्ज दिखा देंगे तो मैं इसको जरूर मानेंगी या नही मैं इसके बारे में अश्योरेंस चाहता हूं।

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** अगर आप वह प्रोसीडिंग्ज दिखा देंगे तो मैं इसको जरूर कन्सीडर करूंगी।

**Major Amir Singh Ch**: May, I know, Sir, whether the hon.Finance Minister has given an assurance in this connection?

**Mr. Speaker:** She has assured that she will examine the matter if the proceedings in question are produced. We will then come to some understanding.

**सूबेदार प्रभु सिंहः** स्पीकर साहब,मैं काफी देर से यहां हुई बातों को सुन रहा था। इधर से भी उधर से भी। मेरे भाइयो द्वारा स्टेट के भले के लिये सवाल हो रहे थें। लेकिन आपके द्वारा मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पिछले साल काम चलता रहा तो क्या किसी विधान सभा के मेम्बर ने लीडर

आफ दी हाउस को लिख कर दिया था कि कहां कहा खामियां हैं और कहां–कहां की डिमांडज हैं?

कोई भी मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े नहीं हुये

**मेजर अमीर सिंह चौधरीः** यह सवालात, फ्ल्ड और फेमिन रिलीफ के बारे में हमने ही किये हैं और हमने ही कई बार लिख कर दिया हैं

**चौधरी रणबीर सिंहः** स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय जवाब दें कि किसी ने इस बारे में लिख कर दिया हैं या नहीं दिया हैं?

**मलिक मुख्तियार सिहः** स्पीकर साहब, मैं एक सबमिशन चाहता हूं अर्ज यह हैं कि जो क्वैश्चन आवर होता हैं वह सिर्फ क्वैंश्चनज और स्पलीमैंटरीज के लिये होता हैं। These long submissions may not be allowed during the Question-hour. यहां तो क्रोस क्वैश्वन्ज और क्रोस एग्जामिनेशन के ऊपर ही एक घंटा खत्म हो गया। मैंम्बर्ज में इसके बारे में रिजेंटमेंट हैं और वे चाहते हैं कि यह जो क्वैश्चन आवर हैं यह आगे के लिये सप्लीमेंटरीज के लिये ही इस्तेमाल किया जाये।

**Mr. Speaker:** In view of the enthusiasm and the other thing I noticed amongst the Members, I do not think your statement is correct that there is resentment in the Houses. This may be to you and few others but generaly speaking I can see the House was interested and I am sure

that replies to 90 percent of the hon. Members questions have been given. I think personally that the Hour has been well spent. This is an important matter and the question-hour has been well spent.

**श्री मंगल सैनः** स्पीकर साहब, इसकी इम्पौरटेंस कम नहीं हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन आप ने देखा कि राव साहब के सवाल मै ये लाजबाब हो गये और इसका बड़ा पूअर इम्प्रेशन हम लोगों पर पड़ा हैं। इसलिये स्पीकर साहब आप उन्हें कहें कि वे वैल प्रिपेयर्ड होकर आया करें, ताकि मामला 15–20 मिन्ट में निपट जाये।

**Mr. Speaker:** Ch. Mukhtair Singh Jee, if I may point out to you as Leader of the Jan Sangh that the longest introduction normally given to a question is by Dr. Mangal Sein, them what would you say? (Laughter)

**Sh. Mangal Sein:** No, Sir, no, never, never. स्पीकर साहब यह मेरी साथ बेइन्साफी हुई हैं।

**मलिक मुख्तियार सिंहः** स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन तो जैनुअन थी। उस में कोई भी स्तर हो, मेरा तो पार्टिकुलरली किसी भी मैम्बर की तरफ रेफरैन्स नहीं।

**Mr.Speaker:** Generally speaking, I agree with you, but not pertaing to this question.

**चौधरी चान्द रामः** स्पीकर साहब, सवाल तो इसलिये पूछे जाते हैं कि मुफीद इन्फर्मेशन आ जाये, और तो इसका

मतलब कोई नहीं रह जाता। मैंने तो अर्ज किया कि या नैकस्ट–डे के लिये इस क्वैश्चन को पोस्टपोन करिये या कोई और तरीका निकालिये। मैंने तो टाइम भी ज्यादा नहीं लिया, स्पीकर साहब।

**Mr. Speaker:** Ch. Sahib, the point is that this all depends on the Members. Up to the end there were four of five Members standing every time with a view to asking question. Now tell me what should I do when all the time five of six Members were on their legs?(Interruption). So I am afraid, it is up to you the hon. Members. They have quiet and we would have gone to the next question.

**महन्त गंगा सागरः** स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश करना हैं, इसलिये मैं एक सैकेड के लिये उनका एक अश्योरेंस उनको याद दिलाना चाहता हूं। कन्सोलिडेशन के बारे में उन्होंनें कहा था कि अगर कोई ऐसा गांव हैं, जहां पर न कोई रेत का झगड़ा हैं, न कोई पहांड़ का झगड़ा हैं, न किसी रिट की वजह से वह रूका हुआ हैं उस गांव का नाम हम बता दें तो ये वहां फौरी एक्शन लेंगे। गांव का नाम कन्हवा हैं और यह तहसील झज्जर के अन्दर हैं। कृपया ये इसे नोट रक लें।

**श्री अध्यक्षः** उनको एक चिट्ठी भी लिख दीजिए।

**महन्त गंगा सागरः** बहुत अच्छा जी।

**श्री दया कृष्णः** स्पीकर साहब, हमारी एक अर्ज हैं कि अपोजीशन वाले अपने आप ही बहुत सी सप्लीमेंटरी पूछते हैं और

फिर बाद में खुद एतराज करते हैं। इनका एक–एक सदस्य दस–दस सप्लीमेंट्रीज पूछता हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा लीडर आफ दी अपोजीशन से दरख्वास्त करूंगा कि अपने मेम्बरों को समझायें और कहें कि कोई भी सदस्य तीन सये ज्यादा सप्लीमेंट्रीज न पूछे। मैं आप से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी क्वेश्चनज के परव्यू से मेंम्बरो को बाहर जाने की इजाजत द दें तभी यह मसला हल हो सकता हैं वरन नहीं। अगर वे एक–एक प्रश्न के लिये लगायेंगे तो और दूसरे क्वैश्चन्ज का क्या हशर होगा। यह सब के सोचने की बात हैं।

**मलिक मुख्तियार सिंहः** स्पीकर साहिबा, यह तो नेचुरल ही हैं कि सप्लीमेंट्रीज भी इधर से हों, क्योंकि इन गूंगो की तरफ (ट्रेजरी बेन्चीज की तरफ इशारा) से भी तो हमें ही बोलना पड़ता हैं।

**चौधरी रणबीर सिंहः** स्पीकर साहब, इस बार में मैं एक सबमिशन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज मंत्रि–मंडल का हैं कि वह जवाब दे और सदस्यगण का प्रिविलेज हैं कि सवाल पूछे लेकिन जवाब सही हों, यह प्रिविलेज हाउस का हैं। अगर मंत्रिगण की तरफ का जवाब सहीं नहीं आता हैं तो वह हाउस के प्रिविलेज के साथ खिलवाड़ हैं। तो इसलिये इसमें आपका संरक्षण मिलना चाहिये।

**Mr. Speaker:** I did not follow your last phrase. Will the hon. Member please clarify?

**Ch. Ranbir Singh:** I meant, we seek your protection.

**श्री अध्यक्ष:** प्रोटेक्शन जरूर मिलेंगी आपकी।

**चौधरी चांदराम:** स्पीकर साहब, चाहे कुछ भी कह और कर लिया जायें,य अल्टीमेटली आपको ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि रूल्ज में आपको ही अधिकार हैं कि आप देखें कि आया सवाल ठीक नहीं हैं।

**Mr. Speaker:** But let me now sum up and no more submission on this point this. I will only wind up by saying so much that up to the end I could say that practically the whole House was interested in this question, there were many hon. Members. at the same time, up to the end, that if this was the intention, let the Members be happy by asking more and more question and I think you get quite a lot. What is more that even some very good suggestions came out.I will even go further that I will once again requst the Government to consider the various sugesitions including those made by Chaudhri Chand Ram which are really good-there is no politics, and which had meant entirely to help our people who sufer either from drought of from floods and to get more aid from the Centre.

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAIND ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45.**

Ad-hoc Committee for Harijans Welfare, etc.

*701 Ch. Chand Ram: Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

The names of the members of the District Adhoc Committees for Harijans Welfare in the years 1968-69 and 1969-70 in the State:

The dates of the meeting of these Ad-hoc Committees district wise together With the number of such meeting, if any, which were postponed in each district as also the resons therefor;

whether any member or members originally nominated on the siad Committee was/were removed from the membership of any district Ad-hoc Committee if so, their names and reasons therfor together with dates of their removal?

**Agriculture and Labour Minster (Ch. Ran Singh):**

(a)

(b) Statement is laid on the Table of the House.

(c)

**STATEMENTS**

(a) (i) List of the members of the District Ad-hoc Committees for the year 1968-69.

**1. Ambala District**

1. Sh. Ram Parkash M.L.A. Village Adhoya.

2.Sh. Parbhy Ram M.L.A. Village Kishanpura.

3. Sh. Bishna Ram, Vice-Chiarmen, Block Samiti , Village Mugalwali.

4.Sh. Sadhu Ram, Member, Block Samiti, Village Nanahra.

5. Sh. Prem Chand, Municipal Commissioner, Kalka.

6.Sh. Dalip Chand, Sarpanch, Mansapur.

7.Sh. Sant Ram, Member, Panchyat, Patheri

8.Sh. Bharu Ram, Member, Panchyat, Pinjore.

9.Sh. Hemla Ram, New Railway Station, Barara.

10.Sh. Sher Singh, Village Mandebari Taprian.

11.Sh. Satya Vadi, Genral Secretary, Haryana Safai Mazdur Federation, Yamuna Nagar.

12. Sh. Bishan Ram. Village Malikpur, Ambala.

**2.Grugaon District**

1. Sh. Manohar Singh Azad, M.L.A. (Gurgaon).

2. Sh. Hira Lal, Ex. M.L. A., Mahchana.

3. Sh. Mangal Ram, Ex- Member Zila Parishad, Rasulpur.

4. Sh. Ram Saran Balmiki, Member, Panchayat Samiti, Gurgaon.

5. Sh. Ram Parshad , Member, Panchayat Samiti, Rewari

6. Sh. Kasaria Mal, Vice-Chairmen, Municipal Committee, Nuh.

7. Sh. Roshan Lal, Ex-President, Municpal Committee, Ferozepur Jhirka.

8. Sh. Mohan Lal, Muncipal Commissioner, Rewari.

9. Sh. Behari Lal, Muncipal Commissioner, Faridabad.

10. Sh. Sh. Gobind Ram Panch, Tauro, Tehsil Nuh.

11. Sh. Prabhati Ram, Panch, Tauro, Tehsil Nuh.

12. Sh. Bodan Ram Balmiki, Village Hassanpur.

**3. Hisar District**

1. Sh. Dalbir Singh, M.P., 56 South Avenue, New Delhi

2. Sh. Parbhu Singh, M.L.A., Bhiwani.

3. Sh. Goverdhan Dass, M.L.A., Hisar.

4. Sh. Teja Singh, M.L.A., Dabawali.

5. Sh. Balu Ram, Ex-M.L.A. Fatehabad.

6. Sh. Shera Ram, Municipal Commissioner, Hisar.

7. Sh. Data Ram, Ex-Municipal Commissioner, Hisar.

8. Sh. Chhabildas, Sarpanch, Baliali.

9. Sh.Manphool Singh Sarpanch, Village Sandova.

10. Sh. Puran Chand, Ex-Muncipal Commissioner, Bhiwani.

11. Sh. Bhagu Ram, Member, Panchayat, Bawani Khera.

12. Sh. Rattan Singh, Lambardar, Hisar.

13. Sh. Sada Ram, Village Nigana Kalan, Bhiwani.

14. Sh. Sheo Pal, village Dhani Meher, Bhiwani.

15. Sh. Duni Chand, village Umra.

16. Sh. Ishwar Singh, Bhiwani.

17. Sh. Chranji Lal, village Umra.

18. Sh. Ranjit Singh, Bhiwani.

19. Sh. Manohar Lal, Gumantu Jan Sewak Sangh, Hisar.

20. Sh. Mani Ram, Social Worker, Sirsa.

21. Sh. Ganpat Ram, Ravidas Mandir, Bhiwani.

22. Sh. Hari Singh, 127, Model Town, Hisar.

23. Sh. Amar Singh, village Moda Khera.

24. Sh. Kesho Ram, Lambardar, Barwala.

25. Sh. Mela Ram, Lambardar, Barwala

26. Sh. Sh Jai Lal, Chamar, village Singh Pura.

**4. Jind District**

1. Sh. Bhagtu Ram, M.L. A.
2. Sh. Naurang Ram, Muncipal Commissioner, Jind.
3. Sh. Nathu Ram, village Kalyat, tehsil Narwana.
4. Sh. Dalip Singh, village Kalva, Jind.
5. Sh. Lachhman, Harijan, village Shahpur, Jind.
6. Sh. Ami Lal, Harijan, village Ujhana.

7. Sh. Bhagat Ram, village Narwana.
8. Sh. Sheoni Balmiki, village Kalron, tehsil Narwana.

**5.Karnal District**

1. Sh. Chand Ram, M.L.A., Ravi Dass Nagar, Rohatak.
2. Sh. Banwari Lal, M.L.A., village Kurlan.
3. Sh. Virandra Satyawadi, Ex-M.P., shahabad.
4. Sh. Ram Kishan Azad, Ex-M.L.A. Jaswnat Nagar, Karnal
5. Sh. Ramji Lal, Ex- Municipal Commissioner, Ladwa.
6. Sh. Giasu Ram, Sarpanch, village Kheri, Sharsafali.
7. Sh. Prem Singh, Sarpanch, village Kheri, Sharsafali.
8. Sh. Chatar Singh, Parcha, village Nurpur Mughlan.
9. Sh. Sadhu Ram, village Chandram.
10. Sh. Ram Diya, village Sarhada.
11. Sh. Kundan, Harijan, village Chandram

12. Sh. Loti Ram Balmiki, village Kheri Man Singh.

13. Sh. Baljora Ram, village Kheri Man Singh.

14. Sh. Jogi Ram, village Jundla.

15. Sh. Ram Bissu, village Kaul.

16. Sh. Maman, Kaithal.

17. Sh. Ram Kuamar, Kaithal.

18. Sh. Gulzar Singh, Kaithal.

19. Sh. Anant Ram, Kaithal.

20. Sh. Basant Lal, Railway Gate, Kaithal.

21. Sh. Tika Ram, Adovacate, Panipat.

22. Sh. Ajit Ram Vaid, Village Sewan.

23. Sh. Sohan Lal, village Luhar Majra.

24. Sh. Naratan Ram, village Sewan.

25. Sh. Kura Ram, village Sandoli

**6. Narnaul District (Mohindergarth)**

1. Sh Ganpat Rai, M.L.A., village Dadri.

2. Sh. Jagdish Chand, Ex-M.L.A., Dadri.

3. Sh. Ram Chander, Ex-M.L.A., Dadri.

4. Sh. Sis Ram, Ex-M.L.A., village Kaneheti.

5. Sh. Kanha Ram, Member, Block Samiti, village kamod

6. Sh. Onkar Ram, Ex-Municipal Commissioner, Narnaul.

7. Sh. Muni Ram, Balmiki, village Dadri.

8. Sh. Ramji Lal, village Rawaldhi.

9. Sh. Rai Singh, son of Hem Karan, village Mehram.

10. Sh. Bhakhu Ram, Harijan Worker, village Dadri.

11. Sh. Chander, Ex-Jamadar, village Dadri.

**7. Rohtak District**

1. Sh. Kanwar Singh, M.L.A., Rohatk.

2. Sh. Sham Chand, M.L.A., village Lat.

3. Sh. Phool Singh Kataria, Ex-M.L.A., Jhajjar.

4. Smt. Shakuntla, Jhajjar.

5. Sh. Chandgi Ram, Social Worker, Gohana.

6. Sh. Jagna Ram, Rohtak.

7. Sh. Chandgi Ram, Jhajjar.

8. Sh. Balraj, Rohatk.

9. Sh. Sultan Singh, Advocate. Rohatk

10. Sh. Banwari Lal, Rohtak

11. Sh. Anand Singh, Rohatk.

12. Sh. Lachhman Singh Ahlawat, Rohtak.

13. Sh. Prabhu Dayal, son of Sh. Pakhriya, Sonepat.

14. Sh. Amin Chand Sahrwat, Sonepat.

Note- In addition, all the members of the State Advisory Committee constituted for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department were made ex-officil members of all the District Ad-hoc Committees, yide Government orders issued on 27th December, 1968. The names of non-officials who thus became members of all the District Ad-hoc- Committees are:-

1. Sh. Dalbir Singh, M.P.

2. Sh. Prabhu Singh, M.L.A.

3. Sh. Parbhu, M.L.A

4. Sh. Sh. Manohar Singh Azad, M.L.A.

5. Sh Gordhan Dass, M.L.A.

6. Sh. Banwari Ram, M.L.A.

7. Sh. Sham Chand, M.L.A.

8. Smt. Parsani Devi, M.L.A.

9. Sh. Phool Singh Kataria, Ex- M.L.A.

10. Sh. Ram Chander, Ex - M.L.A., Dadri.

11. Sh. Attar Singh Khatak, Harijan Worker.

(ii) List of the members of the District Ad-hoc Committee for the year 1969-70.

**1. Ambala District**

1. Sh. Prabhu Ram, M.L.A., village Kishanpura.
2. Sh. Kura Ram, Chairmen, Panchayat Samiti, Naraingarth, village Sadopur Majra.
3. Sh. Bishna Ram, Vice-Chairmen, Panchayat Samiti, Biaspurm Village Mughlan
4. Sh. Mahamtu Ram, Sarpanch, Pachayat, Mahmudpur.
5. Sh. Sant Ram, Member, Panchayat, village Patheri.
6. Sh. Bhuru Ram, Kabirpanthi, Member, Panchayat, Pinjore, Kalka.
7. Sh. Hemla Ram, President, Harijan Sabha, village Barara.
8. Sh. Sunder Lal, village Kesari.

9. Sh. Bishan Ram, son of Sh. Telu Ram, village Malikpur.

**2. Gurgaon District**

1. Sh. Manohar Singh Azad, M.L.A., Hassanpur (Gurgaon).
2. Sh. Hira Lal, Ex-M.L.A., Mahchana.
3. Sh. Bhule Ram, Ex- M.L.A., Gurgaon.
4. Sh. Bihari Lal, Municipal Commissioner, Faredabad.
5. Sh. Roshan Lal, Muncipal Commissioner, Ferozepur Jhirka.
6. Sh. Khilu Ram, Ex-Municaipal Commissioner, Hodel.
7. Sh. Kachharu Ram, Ex-Municaipal Commissioner, Sohna.
8. Sh. Kishan Lal, Social Worker, Tauro.
9. Sh. Gobind Dass, village Bitori.

**3. Hisar District**

1. Subedar Prabhu Singh, M.L.A. Ashoka Colony, Bhiwani
2. Sh. Goverdhan Dass, M.L.A., Hisar.
3. Sh. Teja Singh, M.L.A., Dabwali.

4. Sh. Data Ram, Balmiki, Ex-Municipal Commissioner, Hisar.

5. Sh. Puran Chand, Ex-Municipal Commissioner, Hanuman Gate, Bhiwani.

6. Sh. Chhbildas, Sarpanch, village Baliala.

7. Sh. Sh. Bhag Ram, Member Panchayat, Bhiwani Khera.

8. Sh. Nand Singh, son of Sh. Mahan Singh, village Rori.

9. Sh. Kukar Singh, village Paghu.

10. Sh. Rattan Singh, Lambardar, Thandi Sarak, Hisar.

11. Sh. Ishwar Singh, Excellant Laundry, Bhiwani.

12. Sh. Sheopal Singh, Dhani Mahu, tehsil Tosham.

13. Sh. Charanji Lal. Son of the Sh. Nannda, village Umra.

14. Sh. Duni Chand, village Umra.

15. Sh. Hari Singh, Model Town, Hisar.

16. Sh. Amar Singh, village Balsamand.

17. Sh. Kesho Ram, village moda Kheri.

18. Sh. Mala Ram Lambardar, Bambla.

19. Sh. Manohar Lal, village Diman, tehsil Fatehabad.

20. Sh. Mani Ram, social Worker, Sirsa.

21. Sh. Ganpat Rai, Ravidas Mandir, Bawari Gate, Bhiwani.

22. Sh. Mman Ram Khatik, village Kairu, tehsil Bhiwani.

23. Sh. Jai Lal, Harijans, village Nigana, tehsil Bhiwani.

**4. Jind District**

1. Sh. Bhagat Ram, M.L.A., village Bala.

2. Sh. Fithan Ram, Municipal Commissioner, Safidon.

3. Sh. Ami Lal, Harijan, village Ujhana.

4. Sh. Kundan Lal, Secretary, Mandal Congress, Jind.

5. Sh. Nathu Ram, Congress Worker, village Balu.

6. Sh. Risal Singh, Lambardar, village Balu.

7. Sh. Bhagat Ram, Congress Worker, Narwana.

**5. Karnal District**

1. Sh. Chand Ram, M.L.A. Ravidas Nagar, Rohtak.

2. Sh. Ram Kishan Azad, Ex-M.L.A., Yashwant Nagar, Karnal.
3. Sh. Rattan Lal, Muncipal Commissioner, Shahbad.
4. Sh. Ramji Lal, Ex-Municipal Commissioner, Ladwa.
5. Sh. Tulsi Ram, Congress Worker, village Amin.
6. Sh. Basant Lal, Railway Gate, Kaithal.
7. Sh. Tikka Ram, Advocate Panipat.
8. Sh. Birbal, Congress Workder, village Kithana.
9. Sh. Mani Ram Mahasha, Karan Talab, Karnal.
10. Sh. Jogi Ram Jundla.
11. Sh. Rangi Ram, village Kotra.

**6. Narnaul District (Mohindergarh)**

1. Sh. Ram Chader Mahasha, Ex-M.L.A., Dhuri.
2. Sh. Onkar Chand, son of Nihal Singh, Harijan Worker, Narnaul.
3. Sh. Mange Ram Punia, Captain, village Chirya.
4. Sh. Mata Din, village Dadri.
5. Sh. Kanha Ram, village Kamod.
6. Sh. Ram Sarup, village Pandwa.

7. Sh. Rai Singh, son of Sh.Hem Karan, village Sakrana.

8. Sh. Mangat Rai, son of Sh. Durga Parshad, Mohlla Farshkhana Narnaul.

**7.Rohtak District**

1. Sh. Sham Chand, M.L.A., Dhuri.

2. Sh. Kanwar Singh Dayia, M.L.A., Kharkhoda.

3. Sh. Chandgi Ram, Member, Panchayat, Farmana.

4. Smt. Shakuntla Devi, village Madanpur Akheri.

5. Sh. Sultan Singh Mehra, Advocate, Rohtak.

6. Sh. Daya Chand Mahasba, village Sena, tehsil Rohtak.

7. Sh. Anand Singh, President, Balmiki Sabha , Rohtak.

8. Sh. Bhiku Ram, village Bhatgaon.

9. Sh. Dhan Singh, village Ahri Majra.

Note: In addtion, in accordance with the Government order issued on 27th December, 1968 the follwing non official members of the state Advisory Committee constitued for the Welfare os Scheduled Castes and Backward Classes Department are also ex-officio members of all the District Ad-hoc Committee:-

1. Sh. Dalbir Singh, M.P.

2. Sh. Randhir Singh, M.P.

3. Subedar Prabhu Singh M.L.A.

4. Sh. Parbhu, M.L.A.

5. Sh. Manohar Singh Azad, M.L.A.

6. Sh. Gordhan Dass, M.L.A.

7. Sh. Banwari Ram, M.L.A.

8. Sh. Sham Chand, M.L.A.

9. Smt. Parsani Devi, M.L.A.

10. Sh. Phool Singh Kataria, Ex- M.L.A.

11. Sh. Ram Chander, Ex- M.L.A.

12. Sh. Attar Singh Khattak, Harijan Worker.

13. Sh. Chandgi Ram Aghwanpuri, Rohatk.

(b)

| Sr. No. | Name of the District | Dates on which meetings held in 1968-69 and 1969-70 | Number of meeting postponed alongwiht reasons thereof |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambal | 23-1-69 | |
| | | 26-2-69 | |
| | | 10-11-69 | |
| | | 1-12-69 | |
| 2 | Gurgaon | 17-169(Three) | (1) Meeting dated 27th June, 1969 postponed as the Minister for Agriculture and Labour wanted to reconstitute the District Ad-Hoc Committee |
| | | 6-3-69 | (2) Meeting dated 15th October, 1969 postponed by order from Headquarters. |
| | | 27-11-69 | (3) Meeting dated 17th November, 1969 was postponed the memebers insited for it cancellation. |
| 3 | Hisar | 31-12-68(Two) | (1) Meeting dated 24th December, 1968 postponed |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | due to the visit of C.M. Haryana to the District. |
| | | 20-2-69 | |
| | | 15-10-69 | |
| | | 12-2-70 | (2) Meeting dated 10th February, 1969 postponed beyond 15th February, 1969 as desired by C.M. |
| 4 | Jind | 17-2-69 (one) | Meeting dated 28th November, 1969 postponed as most of the members did not attend. |
| 5 | Karnal | 25-2-69 (seven) | (1) Meeting, dated 21st January, 1969 posponed by D.C. due to the tour of C.M. to the District. |
| | | 26-2-69 | (2) Meeting dated 3rd Febuary, 1969 postponed as it did not suit the D.C. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 15-1-70 | (3) Meeting dated 13th February, 1969 postponed beyond 15th February, 1969 by order from Headquarters. |
| | | | (4) Meeting dated 19th February, 1969 postponed as the members objected that they had not received the list of applications. |
| | | | (5) Meeting dated 28th October, 1969 postponed by order from headquarters |
| | | | (6) Meeting dated 5th December, 1969 postponed due to sudden tour of D.C. |
| | | | (7) Meeting dated 17th December, 1969 postponed at the requst of members. |
| 6 | Mohindergarth | 22-1-69 | (1) Meeting dated |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (Three) | 21st January, 1969 postponed at the requst of D.C. |
| | | 17-2-69 | (2) Meeting dated 11th February, 1969 postponed beyond 15th February, 1969 by order from Headquarters. |
| | | 17-11-69 | (3) Meeting dated 28th October, 1969 by order from Headquarters. |
| 7 | Rohtak | 16-1-69 (Five) | (1) Meeting dated 11th February, 1969 postponed beyond 15th February, 1969 by order from Headquarters. |
| | | 18-2-69 | (2) Meeting dated 3rd November, 1969 postponed by order from Headquarters. |
| | | 10-1-70 | (3) Meeting dated 26th November, 1969 postponed as the D.C. was not |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | available due to the visit of F.M. to the District. |
| | | 17-1-70 | (4) Meeting dated 3rd December, 1969 postponed at the requst of members |
| | | 14-2-70 | Meeting dated 16th January, 1970 postponed due to hartal in Haryana. |

(c) (i) No members from any district Ad-hoc Committee was removed during the year 1968-69.

| Sr. No. | Name of the members removed from the District Ad-hoc Committee 1969-70 | Dated of removal | Resons for removal |
|---|---|---|---|
| **HISAR DISTRICT** | | | |
| 1 | Sh. Sada Ram | 15-10-69 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sh. Ranjit Singh | 15-10-69 | It is not in public interest to disclose the reasons |
| **ROHTAK DISTRICT** | | | |
| 1 | Sh. Brahan Singh, Ex-M.L.A. | 24-9-69 | |
| 2 | Sh. Sri Ram | 24-9-69 | |
| 3 | Sh. Roshan Lal Chandoli | 5-1-70 | |
| 4 | Sh. Lachhman Singh Ahlwat | 24-9-69 | |
| 5 | Sh. Amin Chand Sehrawat | 24-9-69 | |
| 6 | Sh. Chhaju Ram, Ex-M.L.A. | 5-1-70 | |
| 7 | Sh. Bhiku Ram | 5-1-70 | |

**Distribution of Tractors through the Haryana Agro-Industries Corporation**

***682 Ch. Randhir Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number of tractors of D.T. 14 H.P. which have been distributed through the Haryana Agro-Industries Corporation during the year

1969, together with the profit, if any derived out of the said distribution of tractors?

**Agriculture and Labour Minister (Ch. Ran Singh):** 250 D.T. 14 H.P. tractors have been distributed by Haryana Agro-Industries Corporation during the year 1969. The exact amount of profit which would accrue to the Corporation on the sale of these tractors has not been worked out yet.

**Biffurcation of Market Committee, Yamuna Nagar, Jagadhri**

***683 Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government for the bifurcation of the Market Committee of Yamunanagar-Jagadhri; if so the time by which it is likely to be bifurcated?

**Agriculture and Labour Minster (Ch. Ran Singh):** part (a) and (b) : The matter is under consideration.

**Construction of Samar-Gopalpur Approach Road**

***679. Ch. Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

a) Whether Samar-Gopalpur approach road lies in the Rohtak Marketing Committee area;

b) the funds, if any earmarked for this road:

c) whether the administrative sanction for ther construction oif the said road has been issued ; and

d) the date on which the work is likely to be taken up together with the period within which it is likely to be completed?

**Agriculture and Labour Minister (Ch. Ran Singh):** (a) Yes.

(b) Market Committee, Rohtak, have deposited Rs. 221000/- for the construction of six roads and this road is one of these.

(c) No.

(d) Earth, work has been started by the villagers from January, 1970 and is in progress. The work of metalling by P.W.D. will be taken up after earth work is completed by villagers. The road is likely to be completed in 1970-71 provided full funds are made availble by Market Committee and earth work completed bny the villagers early.

**Whole Distribution Agency of Kisan Khad**

***548 Major Amir Sing Ch.:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state-

a) whether it is a fact that the wholesale distribution agency of 'Kisan Khad' for Haryana State areas, held by the Haryana Co-Operative Department has been cancelled by the manufactures, Messcrs Nangal Fertilizers: and

b) if so, ther reasons therefor together and the names of the persons or party responsible

therefor and the action, if any, proposed to be taken to retrieve this privilege?

Health and Devolopment Minister (Ch. Khurshed Ahmed): (a) No.

(b) Questions does not arise.

**Scheduled Castes students studying in D.A.V. High School, Matanheli**

***712 Ch. Chand Ram:** Will the Minster for Health and Development be pleased to state:-

a) the names of students belonging to scheduled castes studing in D.A.V. High School, Matanheil (now Government High School) In Rohtak District in the year 1967-68 and whether they were paid their stipends for this year;l and

b) whether a boy named Chander Bhan, son of Musudi Lal of village Paharipur belonging to scheduled caste studing in IX class in 1967-68, in the scholl (D.A.V. High School) and latter studying in X classes in Government High School, Imlota, district Mohindergarth (1968-69) has been paid his stipend for the IX and X, and it not, the reasons therefor?

**Health and Development Minister (Ch. Khurshed Ahmed):** (a) (i) A list is placed on the Table of the House.

(ii) NO.

(b) No, because the students did not apply for his stipend.

**LIST OF THE STUDENTS STUDYING IN IX CLASS OF SCHEDULED CASTES YEAR 1967**

| Sr. No. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Rajinder Singh | Serial No. 1 to 13 admitted in the month of may |
| 2 | Smitra Devi | |
| 3 | Satya Dai Singh | |
| 4 | Jai Parkash | |
| 5 | Chanda Bhan | |
| 6 | Luxmi Narain | |
| 7 | Rati Ram | |
| 8 | Sardha Nand | |
| 9 | Kaishan Singh | |
| 10 | Rati Ram | |
| 11 | Bhagat Singh | |
| 12 | Randhir Singh | |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Dalip Singh | |
| 14 | Chander Bhan | Admitted in the month of July |
| 15 | Ram Kanwar | Admitted in the month of August |

(Sd)

Headmaster,

Government High School, Matanheil.

**LIST OF THE STUDENTS OF SCHEDULE CASTES OF THE 10TH CLASS IN THE YEAR 1967-68**

| Sr. No. | Admitted in the month of | |
|---|---|---|
| | **April** | |
| 1 | Ram Phal | |
| 2 | Mikhatiar Singh | |
| 3 | Rattan Singh | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Paratap Singh | April |
| 5 | Mohinder Singh | |
| 6 | Raj Saroop | |
| **May** | | |
| 7 | Satbir Singh | |
| 8 | Basanti Devi | |
| 9 | Sheela Devi | |
| 10 | Risal Singh | May |
| 11 | Ishwar Singh | April |
| 12 | Sube Singh | |
| 13 | Mohinder Singh | |
| 14 | Om Prakash | |
| 15 | Nanak Chand | |

(Sd)

Headmaster

Government High School, Matanheil.

**Decision announced by the Prime Minster regarding Chandigarth**

*695. Ch. Randhir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of village together with their names which are to be given to Haryana in pursuance of the decision announced by the Prime Minister of India regarding inclusion of Chandigarth in Punjab?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): The total number of villages to gether with their names which are to be given to Haryana in pursuance of the dicision announced by the Prime Minister of India has not yet been published\announced by the Governement of India.

**Firing at Jagadhri on 31st January, 1970**

*684. Dr. Malik Chand Gambhir: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) the names of the magistrate under whose order the Police resorted to firing at Jagadhri on 31 st January, 1970;

b) the number of persons, if any, killed and injured separately in the firing feferred to in part (a) above;

c) the reasons for which the said firing was resorted to by the Police?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): (a) Sh. Sunil Ahuja, Sub-Divisional Magistrate, Jagadhri.

(b) NO one was killed on injured as a result of firing ordered by the Magistrate. However, one person was killed and two persons were injured when a constable of Boarder Security Force posted on duty at Sub-Post Office, Jagadhri, fired in self-defence.

(c) In self defence and to prevent unruly mob from resorting to looking arson and brick-batting, etc.

**Construction of Basantpur-Dhamar Approach Road**

***680. Ch. Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture and labour be pleased to state:-

a) whether the benificiaries have deposited their share for the construction of Basantpur-Dhamar approach road of the Rohtak District, if so, the date thereof;

b) the funds, if any, earmarked for this road;

c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

d) the date on which the work is likely to be taken up together with the period within which it is likely to be completed?

**Agricluture and Labour Minister (Ch. Ran Singh):** (a) Yes. Rs. 14,270 (in cash) during August, 1968. Rs. 9,000 (in cash) on 5th February, 1970.

(b) Lump sum provision for new village roads at a cost of Rs 20 lakhs has been made in the next year Plan.

(c) Yes.

(d) The work is likely to be takenb in hand in April, 1970 and completed by June, 1971.

**Out-break of Small Pox in the State**

***549. Major Amir Singh Chaudhri:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state:-

(a) whether Small-pox broke out in epidemic from in Narnaul occurred as a result thereof:

(b) whether the authorities concerned took timely notice of the our-break of the disease and subsequent effective control thereof; if so, the dates of:-

(i) 1st and last Small-pox deaths registered in the said town during the course of the year 1969;

(ii) Supply of Small-pox vaccine consignments along with quantity in each case;

(iii) re-inforcement of the normal vaccinating staff, t ogether with number thereof; and

(iv)Quarrantine restrictions imposed together with details there of; and

(c) the details of the prophylactice measures the Government proposes to adopt to eradicate the disease along with stringent measures proposed to be taken to control the out-break, if any?

**Health and Development Minister (Ch. Khurshed Ahmed):** (a) Yes, Small-pox broke out in epidemic from in Narnaul Town during the year 1969 and the total number of deaths on account of this of this disease was 40.

(b) Yes. Health Department took timely action but the Municiapal Committee, Narnaul, did not take effective steps in time even after one death had occurred. The requisite information is laid on the Table of the House.

(c) Proposal for additional sataff is under consideration to eradiacate small-pox effectively. Local Government is issuing instructions that the budget of the Municpal Committee be approved onloy if the provision for vacination staff has been made.

Information regarding Para 'B'

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | 1st Death | 28-5-69 | As per Municipal Committee Narnaul records |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1st Death | 2-10-69 | As per records of Chief Medical officer, Narnaul |
| | Last Death | 31-12-78 | Ditto |
| (ii) | Balance of Vaccine on | 1-1-69 | 11800 Dozess |
| | Received on | 17-3-69 | 28500 Dozess |
| | Received on | 16-6-69 | 28500 Dozess |
| | Received on | 7-12-69 | 57200 Dozess |
| (iii) | Noraml Small-pox staff in | | 19 Vaccinators |
| | Narnaul District | | 3 Sanitary Inspectors |
| | Additional Staff sent | | 2 Sanitary Inspectors |
| | | | 1 D.C.M.O. (h) Karnal |
| | | | 1 Assistant Director, Health |

(iv) Quarrantine restrictions in field conditions cannot be possible but following preventive measures were taken:-

a) Mass vaccination orders in the District.

b) Notification

c) Mass publicity through Cinema sliders posters, etc.

d) Sear Survey in the towns under the charge of AUO (s) and Dy. C.M.O. (H)

**Allocation of Steel**

***703. Ch. Chand Ram:** Will the Chief Minister be plased to state:-

a) whether the State Governor recommended to the Controller of Steel, Government of India. allocation of Steel of any kind for Haryana in the year 1968-69 and 1969-70; and

b) whether any industrialist of the Haryana State represented for non-availability of lack of adequate supplies of steel?

**Chief Minister (Sh. Bansi Lal):** (a) References were made to the Ministry of Steel, Government of India, Joint Plant Committee and Development Commissioner of indigenous steel to this State.

**Industries set up in Hisar District**

***696. Ch. Randhir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of various units of industries which have been established in Hisar district since 1st January, 1969, together with details of facilites of these industries?

**Chief Minister (Sh. Bansi Lal):** List of various units of industries which have been established in Hisar District since in the 1st January, 1969, is placed on the Table of the House.

There are no exclusive facilities for induwstrialists in this district. How ever, facilities to the enterperneurd\industrrailists in the state are extend in several forms as under:-

Financial assistance is given under the State Aid to Industries Act. Besides, Haryana Financial Corporation also grants loans;

Industrialists are also assisted in obtaining machinery on hire purchase basis through National Small Industries Corporation (Government of India Undertaking);

Industrial Estates have also been set up in the State wherein built up factory sheds are provided to the industrialists/enterpreneurs. Besides, developed Plots are also allotted. There is one Industrial Estate at Hisar and rural industrial estates have been established at Barwala and Fatehbaad. Land has also been acquired at Bhiwani for setting up an industrial area there;

Assistance is also given in making scarce raw materials avialable.

Names of Industrial Units Established in Hisar District since 1st January, 1969

1. Kal Nath Ayurvedic Bhawan, Bhiwani;

2. M/s Brothers Mechanical Works, Sirsa Road, Mandi Dabawali;

3. M/s Garg Dal and General Mills, Bal Samand Road, Hisar;

4. M/s Hindustan Manufacturing Co., Sirsa;

5. M/s Prem Steel Works, Halu Bazar, Bhiwani;

6. M/s Haryana Wire Knitting Works, Patram Gate, Bhiwani;

7. M/s Doaba Automobile Works, Sirsa Road, Hisar;

8. M/s Super Industries, Sirsa Road, Hisar;

9. M/s Maheshwari Foundry and Engineering Works, Dabra Road, Hisar;

10. M/s Haryana Agriculture Industrial Coroporation, Industrial Estate, Hisar;

11. M/s Swastik Industries, New Bazar, Bhiwani;

12. M/s Jant Multipurpose Small Industries Assocation, Badi Gali, Bhiwani.

13. M/s Suraj Iron Foundry, Delhi Road, Hisar;

14. M/s Nauranga Khandsari Factory, village Naurangbad, Post office Bamla, tehsil Bhiwani

15. M/s Delhi Garmet Stores, Central Bazar, Bhiwani;

16. M/s Shankar Ice Cream, Hisar;

17. M/s Road Safe Co., Kail Devi Hansi;

18. M/s Ajanta Art Press. Tohana;

19. M/s National Store Crushing Mill, Khanak (Bhiwani);

20. M/s Darwin Rubber Industries, Hansi;

21. M/s Bawa Crushing Co,. Mandi Dabwali;

22. M/s National Scientific Industries, Industries Development Colony, Hisar;

23. M/s Ghanshyam Dass and Oil Industries, Bhiwani;

24. M/s Mahipal Hosiery Factory, The Mall Hisar;

25. M/s Ch. Cotton Ginning and Pressing Facotory, Dabwali;

26. M/s Hanuman Dal and General Mills, Hisar;

27. M/s Sirsa Industrial Dabwali Road, Hisar;

28. M/s Janki Dass-Mohan Lal, Hisaaria Bazar, Sirsa;

29. M/s Haryana Industries Manufacturing Corporation, Hisar;

30. M/s Lachhman Dass Jagdish Chander, Hisaria Bazar, Hisar

31. M/s Haryana Allied Industries , Rohtak Gate, Bhiwani;

32. M/s Aggrwal Soap Factory, Hisar;

33. M/s Devi Ditta Mal Verma, Multani Colony, Sirsa;

34. M/s Sukheja Soap Factory, Fatehabad;

35. M/s Saraswti Khandsari Industries, New Bazar, Bhiwani

36. M/s Shanti Soap Factory, Mandi Dabwal;

37. M/s Bhadhu Cotton Dal and Oils Mills, Mandi Dabwali;

38. M/s Munisi Ram Chander Cotton Ginning Factory, Hisar

39. M/s Phool Chand Hukam Chand Halwai, Nai Mandi, Hisar;

40. M/s Krishan Trunk Factory, Jawahar Chowk, Fatehbad;

41. M/s Mohan Steel Works, Railway Raod Hisar;

42. M/s Haryana Stone Curshing Co. Tosham;

43. M/s Sham Dass Harish Chander, Nai Sabzi mandi, Hisar;

44. M/s Indian Kore Oils School, Hansi;

45. M/s Suraj Aluminium and Steel Furniture Railway Road, Hiasr

46. M/s Shyao Parshad and Sons, Hansi;

47. M/s Bela Lahri Mal, Bhiwani.

**Total number of Taxi Permits issued in the State**

***693 Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

a) The Total number of taxis for which permits have been issued since 1st April, 1969 in the entire State of Haryana; and

b) the number of the said of the said permits, city-wise together with the names of the such Permit-hodlers?

Irrigation and Power Minister (Sh. K.L.Poswal): (a) Eight.

(b) A statements is laid on the Table of the House.

**Statements of Taxi Permits issued in the State of Haryana From 1st April, 1969**

| Sr. No. | Station | No. of Permits | Names of the Permit-holder |
|---|---|---|---|
| For State-wide operation (HRY Permits | | | |
| 1 | Kalka | 1 | Sh. Gurcharan Singh, S/o of Sh. Jiwan Singh |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jhajjar | 1 | Sh. Chander Singh, S/o Sh. Moler Singh |
| 3 | Jagadhri | 2 | (a) Sh. Jagjit Singh Modi, Son of Sh. Gurdit Chand |
| | | | (b) Sh. Vajinder Kumar, S/o Sh. Sumer Chand |
| 4 | Village Bohar (District Rohtak) | 1 | Sh. Inderjit Singh S/o Sh. Shangaldeep Singh |
| 5 | Ambala City | 1 | Sh. Lehna Singh, S/o Sh Mangat Singh |
| | | For Country-wide peration (HRZ Permits | |
| 6 | Chandigarth | 2 | (a) Director of Tourism, Haryana |
| | | | (b) Director of Tourism, Hayana |

**Construction of Kharwali Approach Road**

***681. Ch. Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) whether the beneficiaries have deposited with the P.W.D. their share for the completion of the portion of Kharwali approach road upto the end of Sanghi-Jasia Approach Road of tehsil and district Rohtak; if so, the date and amount thereof;

(b) the date on which the administrative approval for the construction of the said road was issued;

(c) the date on which the work was started together with teh period within which it is likely to be completed; and

(d) the reasons for the delay if any, in completion of the work?

**Agriculture and Labour Minister (Ch. Ran Singh):** (a) Villagers have deposited Rs. 12000, on 19th March, 1968 against a demand of Rs. 15000.

(b) 23rd February, 1970.

(c) Work has just been taken in had and will be completed by June, 1970.

(d) Full share not deposited by villagers.

**PRESENTATION OF BUDGET FOR THE YHEAR, 1970-71**

**Mr. Speaker:** Now I will request the Finance Minister to present the Budgedt for the year 1970-71.

**श्री मंगल सैन:** मैं जनाब कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

**Mr. Speaker:** Today, nothing else than teh Budget.

**वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन):** श्रीमन्, मैं इस सदन के सामने 1970–71 के अजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूं।

बजट अनुमान प्रस्तुत करने सपहले प्रायः राज्य की सामान्य आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य बजट की समीक्षा करते हुए इस पृष्ठभूमि को सामने रखें।

**आर्थिक स्थितिः** दो वर्ष पहले पिछला वर्ष कृष्या के लिये इतना अच्छा नहीं रहा। राज्य के अधिकांश क्षेत्र में कहत तथा अल्प वर्षा के कारण चने तथा तिलहन जैसी रबी फसलों की बुवाई में बड़ा विघ्न रहा तथा बाढ़ों से खरीफ की फसलों को भारी हानि हुई। वर्ष 1967–68 में अनाज की पैदावार 39.70 लाख टन हुई, परन्तु पिछले वर्ष केवल 27.64 लाख टन अनाज पैदा बीजों और बेहतर खाद तथा लघु सिंचाई के उपयुक्त साधनों के कारण गेहूं की पैदावार में एक लाख टन की बढ़ौतरी हुई। इसी प्रकार गन्ने की पैदावार दो वर्ष पूर्व 4.71 लाख टन थी परन्तु पिछले वर्ष इसकी उपज 6.69 लाख टनर हो गई। अनुमान है कि चालू वर्ष में अनाज की उपज 35.81 लाख टन होगी जबकि पिछले वर्ष उपज 27.64 लाख टन थी।

चाहे पिदले वर्ष राज्य में अनाज की पैदावार कम हुई लेकिन फिर भी राज्य में कीमतें ठीक बनी रही और निरखों के

अखिल भारतीय स्तर के अनुसार ही रहीं। (1952–53 को आधार मानकर) थोक कीमतों का अखिल भारतीय औसत सूचक आकंडा पिछले वर्ष 217 था जबकि उससे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 209 था। इस प्रकार इसमें केवल 3.8 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य औसत सूचक अंक (1949 को 100 मानकर) 1968 के 216 सये घटकर 1969 में 212 रह गया। इस प्रकार इसमें 1.9 प्रतिशत की कमी हुई परन्तु हरियाणा में यह सूचकांक एक प्रतिशत बढ़ा।

हरियाणा में रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 1.39 लाख उम्मीदवारों का नाम चालू रजिस्टरोंम `दर्ज था जबकि उससे पहले वर्ष ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1.32 लाख थी। इनमें से लगभग 22 हजार व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरियां दिलाई गई इस प्रकार दर्ज किये गए कुल उम्मीदवारों में से 15.7 प्रतिशत उम्मीदवारों को रोजगार मिला जबकि 1968 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर केवल 12.3 प्रतिशत उम्मीदवारों को रोजगार मिल सका। इससे सिद्ध होता है कि हमारे राज्य में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही।

राज्य की आमदनी में वृद्धि का मतलब होता है समूची अर्थ व्यवस्था की उन्नति। राज्य की आमदनी (1960–61 की कीमतों के अनुसार) 1966–67 में 298 करोड़ रूपए थी लेकिन 1968–69 में हमारी आमदनी बढ़कर 328 करोड़ रूपए हो गई। 328 करोड़ रूपए की इस कुल आमदनी में लगभग 60 प्रतिशत की

आमदन कृषि क्षेत्र से हुई। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आमदन में भी वृद्वि हुई। जैसे कि 1966–67 में आमदन 331 रूपए थी किन्तु 1968–69 मेंं यह आमदन बढ़कर 343 रूपए हो गई जब कि अखिल भारतीय स्तर पर आय 319 रूपए थी। इस प्रकार हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से 7.5 प्रतिशत अधिक रही।

इन बातों से सिद्ध होता है कि हमारा नवोदित हरियाणा राज्य अब आर्थिक विकास के रास्ते पर भलीभान्ति आगे बढ़ रहा है। (प्रशंसा) राज्य सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि आने वाले वर्षों में इस उन्नति को न केवल बनाए रखा जाये बल्कि इसे और भी बढ़ाया जाये। सरकार की नीति इसलिये ऐसी होगी जिससे कि आर्थिक विकास तेज हो सके। उदाहरण के तौर पर सरकार की अनाज खरीदने की नीति से किसानों को लाभदायक कीमतें मिली हैं। और इसके साथ ही जनसाधारण को भी राहत मिली है। इसीलिए राज्य सरकार ने अनाज खरीदने की इस नीति को जारी रखा और पिछले वर्ष 1.68 लाख टन गेहूं के मुकाबले में इस वर्ष 2.71 लाख टन गेहूं खरीदी।

**बाढ़ तथा अकाल ग्रस्त इलाकों में लोगों को सहायताः** चालू वर्ष में सूखा और बाढ़ जैसी दैवी विपतियों से भी भारी हानि उठानी पड़ी। पिछले वर्ष सर्दियों मे वर्षा न होने के कारण रबी की फसल अच्छी न हुई। सूखे का प्रभाव विशेष कर महेन्द्रगढ और गुडगांव जिलों ततथा भिवानी और झज्जर तहसीलों में पड़ा। इस

प्रयोजन के लिए 28.75 लाख रूपए स्थानीय राहत कार्यों पर तथा सस्ते दामों पर चारा मुहेया करने के लिए 6.5 लाख रूपए खर्च किए गए। जल सप्लाई स्कीमों के लिए 1.25 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई। पिछले वर्ष जुलाई मास में मानसून से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सुधार तो हुआ परन्तु सितम्बर में अधिक वर्षा के कारण गुड़गांव, जींद, करनाल और रोहतक का काफी इलाका बाढ़ की लपेट में आ गया। अनुमान है कि इससे 3. 37 करोड़ रूपए की फसलों का नुकसान पहुंचा। इन जिलों में मकानों की मुरम्मत के लिए अनुदान तथा सहायता दी गई और इसके अतिरिक्त बाढ़ का पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई।

कहत और बाढ़ वाले इलाकों के लोगों की सहायता के तौर पर लाभदायक रोजगार मुहैया करना भी आवश्यक समझा गया। वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्य शुरू किए गए। इनमें से सड़कें बनाने का काम बहुत जरूरी समझा गया क्योंकि इससे सरकार के सड़क निर्माण कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिला। इस कार्यक्रम के अधीन 847 किलोमीटर लम्बी 162 सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया है (प्रशंसा) और इस अवधि में प्रतिदिन लगभग 23325 व्यक्तियों का काम पर लगया गया। कहत तथा बाढ़ सहायता के कार्यों पर इस वर्ष के दौरान 2 करोड़ रूपए से अधकि खर्च किया गया।

**वितीय स्थितिः** राज्य सरकार द्वारा लगातार वितीय साधनों की जाती रही। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी

होगी कि यदि पिछले वर्ष के लेखों तथा चालू वर्ष के संशाधित अनुमानों की तुलना की जाये तो हम देखेंगे कि चालू वर्ष के दौरान राज्य की वितीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

**1968–69 के लेखेः** पिछले वर्ष के लेखों से पता चलता है कि वर्ष के अन्त में 6.09 करोड़ रू का घाटा था जबकि उस वर्ष के संशाधित अनुमान बनाते समय 6.50 करोड़ रू के घाटे की सम्भावान थी। मूल अनुमानों के मुकाबले में राजस्व बचत में वृद्धि हुई है परन्तु गैर–सरकारी पक्षों को अधिक कर्जे देने तथा पूंजीगत खर्च में वृद्धि के कारण यह बढ़ौतरी कम हो गई है।

**संशोधित अनुमान 1969–70:** वर्ष 1969–70 के बजट अनुमानों के संशोधन के बाद अब स्थिति इस प्रकार है:–

इस वर्ष के अनुमानों की अगले वर्ष के अनुमानों से तुलना करना भी असंगत न होगा।

**(रूपए लाखों में)**

| | बजट अनुमान 1969–70 | संशोधित अनुमान 1969–70 | बजट अनुमान 1970–71 |
|---|---|---|---|
| **प्रारम्भिक बकाया** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजस्व लेखा | -650 | -609 | -589 |
| आमदनी | 7834 | 8590 | 9244 |
| खर्च | 79 | 8220 | 9060 |
| बचत (+) घाटा (-) | 7979 | +370 | +184 |
| **पूंजी खर्च** | | | |
| (निवल) | 733 | 1000 | 1832 |
| **सार्वजनिक ऋणः–** | | | |
| लिया गया ऋण | 4923 | | |
| वापस की गई रकम | 4440 | | |
| निवल | +483 | | |
| **कर्जे तथा पेशगियांः–** | | | |
| पेशगियां | 1624 | 1450 | 1829 |
| प्राप्तियां | 1040 | 718 | 1221 |
| निवल | -584 | -732 | -608 |
| अन्तर्राज्य समंजन | | -9 | |
| फुटकर निधि | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (निवल) | | | |
| अनिधिक ऋण (निवल) | +37 | +77 | +78 |
| जमा तथा पेशगियां (निवल) | +824 | +832 | +940 |
| प्रेषण (निवल) | -6 | -96 | -7 |
| अन्तिम बकाया | -774 | -589 | -1250 |

**श्रीमति ओम प्रभा जैनः** माननीय सदस्य संशोधित आंकड़ों से देखेंगे कि चालू वितीय वर्ष में 7.74 करोड़ रूपए के घाटे का अनुमान था परन्तु अब यह घाटा 5.89 करोड़ रूपए रह गया है कमीबेशी का ब्यौरेवार उल्लेख वित सचिव के ज्ञापन में कर दिया गया है परन्तु यहां मे। वितीय स्थिति में सुधार के कारणों का संक्षेप में उल्लेख करूंगी।

चालू वर्ष के बजट अनुमानों के अनुसार 78.34 करोड़ रूपए की राजस्व आय होने की आशा थी परन्तु संशोधित अनुमानों में आमदनी बढ़कर 85.90 करोड़ रूपए तक पहुंच गई है। चालू वर्ष के दौरान सराकर ने कई ऐसे पग उठाए जिनके कारण सरकार की आमदनी बढ़ी। इस बढ़ौतरी का कराण यह है कि समूचे रूप में आय के अन्य साधन जुटाये गये तथा टैक्सों से और

ज्यादा धन प्राप्त हुआ। इसके साथ ही पांचवें वित आयोग के फैसले से हरियाणा राज्य की भारत सरकार के टैक्सों से ज्यादा हिस्सा मिला तथा राज्य लाटरी स्कीम से अधिक आमदनी हुई।

अतिरिक्त राजस्व आय का अधिक व्यय के लिए उपयोग किया गया। बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व खर्च 79.79 करोड़ रू. होना था लेकिन चालू वर्ष की माली हालत का दोबारा अनुमान लगाने पर यह खर्च 82.20 करोड़ रूपए बैठता है। इस बढ़ौतरी की असली वजह यह है कि सिंचाई तथा सड़कों की देखभाल पर सरकार को अधिक राशि खर्च करनी पड़ी। इसके साथ साथ सरकार ने सड़क परिवहन के लिए भी और अधिक राशि मंजूर की। चालू वर्ष के बजट अनुमान में पूंजी खर्च के लिए 7.33 करोड़ रू. रखे गये थे लेकिन सरकार ने लोक हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पर (1.06 करोड़ रू.) तथा सड़को पर (1.15 करोड़ रू) और खर्च किए। सिंचाई पर 1.06 करोड़ रू. की राशि गुड़गांव नहर प्राजैक्ट, पश्चिमी यमुना नहर प्राजैक्ट, जूई नहर प्राजैक्ट और जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को पूरा करने के लिए दी गई। इनके कारण चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार पूंजी खर्च 10.00 करोड़ रूपए हो गया।

हरियाणा विकास ऋण, 1981 के सम्बन्ध में सरकार को 2.50 करोड़ रू. अधिक प्राप्त हुए। क्योंकि भारत सरकार अब सहायता ऋणों के रूप में 70 प्रतिशत तथा अनुदानों के रूप में 30 प्रतिशत राशि देगी, इसलिए सहायता ऋण की राशि घट गई

है। और इस परिवर्तित सिद्धान्त के अनुसार भारत सरकार से आने वाले सहायता अनुदान की राशि बढ़ गई है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण के बजट अनुमान में केवल 95 लाख रूपए का सुधार हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान राजस्व खर्च के सम्बन्ध में कुछेक प्रगतिशील विशेषताओं का उल्लेख करना जरूरी होगा। गत वर्ष (1968–69) समाज तथा विकास सेवाओं पर 25 करोड़ रू. का खर्च था। अब यह खर्च 31 करोड़ रू. हो गया है। इस तरह लगभग 24 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछेक अन्य महत्वपूर्ण नहई मद्दों पर खच्र किया जाना अपेक्षित था। कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि राज्य में बड़ी संख्या में नए निर्माण कार्यों को तैयार तो कर दिया गया है परन्तु धन की कमी के कारण उनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो रही है। इसलिये संशोधित अनुमानों से सरकारी ट्यूबवैलों के लिए (10 लाख रू.), जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर (7 लाख रू0) तथा इसके अतिरिक्त पश्चिमी यमुना नहर की उपशाखाओं से रेत निकालने एवं सफाई करने के लिए (74 लाख रू0) की राशि का भी उपबन्ध किया गया है। इससे लोगों की इस आम शिकायत को दूर किया जा सकेगा कि नहरी पानी की सप्लाई आखीर तक नहीं पहुंचती। इसी प्रकार सड़कों की देखभाल के लिए पहले की स्वीकृत राशि को काफी बढ़ा (50 लाख रू0) दिया गया। कहत तथा बाढ़–पीड़ित इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए (115

लाख रू0) के बारे पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इसके इलावा परिवहन सेवाओं को सरकार अधिकार में लेने के लिये 71 लाख रू. की अतिरिक्त रकम रखी गई। वेतनमानों का सामान्य रूप से संशोधन किया गया ताकि उन्हें युक्तियुक्त बनाया जा सके। वेतनमानों में संशोधन करने से कर्मचारियों के अन्य भते भी बढ़े हैं। इससे कर्मचारियों को काफी (3 करोड़ रू0) की राहत मिली है। वेतनमानों में जो असंगतियों रह गई हैं उनकी जांच एक कमेटी द्वारा की जा रही है। जब इस कमेटी की जांच पूरी हो जायेगी तो कर्मचारियों को कुछ और रहत मिलने की सम्भावना है। इन सभी प्रगतिशील उपायों के कारण 6 करोड़ से अधिक रू. खर्च हुए हैं। इस प्रकार खर्च बढ़ने पर भी यह संतोष की बात है कि चालू वर्ष में हमारी वितीय स्थिति सुधरी है और इसी कारण चालू वर्ष के बजट अनुमानों में 5.89 करोड़ रू0 रह गया है। इस आशाजनक स्थिति की चर्चा के साथ मैं सदन को 1970–71 के बजट अनुमानों से परिचित कराना चाहूंगी।

**बजट अनुमान, 1970–71:** इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में जो राजस्व आय हुई थी, अगले वर्ष के बजट अनुमानों में उससे 6.54 करोड़ रू. की अधिक आय दिखाई गई है। इस वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं:– 1. केन्द्रीय करां मे हमारे हस्से में वृद्धि (120 लाख रू0) 2. स्टाम्पों की बिक्रि में वृद्धि (54 लाख रू0) और 3. राज्य द्वारा किए गए कर्जों तथा पेशगियों पर अधिक ब्याज (54 लाख रू0)। इस वर्ष सरकार द्वारा बस सेवा का

राष्ट्रीयकरण करने से इस वर्ष के संशाधित अनुमान (5.75 करोड़) की तुलना में अगले वर्ष 3.94 करोड़ रूपए अधिक प्राप्त होने की आशा है। इसी तरह राज्य लाटरी स्कीम से भी अगले वर्ष सरकार को 2.40 करोड़ रू. की आमदनी की आशा है, जबकि इस वर्ष में संशोधित अनुमानों के अनुसार यह आमदनी 2.00 करोड़ रू. ही है। पिछले वर्ष राजस्व खर्च के संशोधित अनुमानों की तुलना में अगले वर्ष के लिए राजस्व खर्च में 8.40 करोड़ रू. अधिक रखे गए हैं। समाज सेवा तथा विकास की स्कीमों पर किये जाने वाले खर्च में 3.82 करोड़ रू. बढ़ा दिये गये हैं। और अब यह खर्च 35.10 करोड़ रू. है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह खर्च केवल 31.29 करोड़ रू. दिखाया गया है। सड़क परिवहन की मद में भी 3.42 करोड़ रू. का खर्च बढ़ा है। खर्च में इस वृद्धि के कारण हैं :– नई बसों की खरीद और उनकी संभाल आदि। लोक निर्माण कार्यों के लिए संशोधित अनुमानों में 3.96 करोड़ रू. दिखाये गए थे लेकिन अब यह खर्च बढ़ कर 4.26 करोड़ रू. कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि सड़कों तथा भवनों की मुरम्मत आदि की अधिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। अकाल सहायता की मद में और अधिक रकम 2.21 करोड़ रु0 रखी गयी है । यह रकम सूखा तथा बाढ के इलाको के लोगो की सहायता के लिए तथा उन इलाको में सड़के बनाने के लिए है।

चालू वर्ष में 10 करोड़ रु0 का पूंजी खर्च अनुमानित है। अगले वर्ष के लिए इस सम्बन्ध में 18.32 करोड़ का उपबन्ध

किया गया हैं । इस प्रकार इसमें 8.32 करोड़ की वृद्वि हुई हैं । वृद्वि का विवरण इस प्रकार हैं :–

1 सिचाई तथा बाढ नियन्त्रण स्कीमो पर 4.23 करोड़ (3.81 करोड़ रु0 की तुलना में 8.04 करोड़ रु0)

2 सड़को तथा भूमि विकास स्कीमो पर 1.32 करोड़ रु0 (4.69 करोड़ रु0 की तुलना में 6.01 करोड़ रु0)

3 सड़क परिवहन स्कीमो पर 78 लाख रु0 (1.05 करोड़ की तुलना में 1.83 करोड रु0)

इस वर्ष के संशोधित अनुमानो में सार्वजनिक ऋण की मद के अधीन 43.89 करोड़ रु0 के कर्जे वसूल होंगे और आगामी वर्ष राज्य को 51.97 करोड़ रु0 तक का ऋण मिलना अनुमानित है । अगल वर्ष 46.13 करोड़ रु0 के कर्जे वापिस किये जाने की संभावना है। यह रकम चालू वर्ष के संशोधित अनुमानो की राशि से का निवल लाभ हुआ है । अगले वर्ष ऐसा निवल लाभ 5.84 करोड़ रु0 होगा । इस वर्ष संशोधित अनुमानो में राज्य सरकार द्वारा कर्जे बाटने के लिए रखी गई रकम 14.50 करोड़ रु0 बनती है और पहले बांटे गये कर्जो में से 7.18 करोड़ रु0 की रकम वसूल होनी अनुमानित है । इसलिये इससे 7.32 करोड़ रु0 के निवल खर्च का पता लगता है । आगामी वर्ष के बजट अनुमानो मे 12.21 करोड़ रु0 अनुमानित वसूलियों की तुलना में कर्जे बांटने के लिए 18.29 करोड़ रखे गये है। इस प्रकार 6.08 करोड़ रु0 का

निवल खर्च होगा । चालू वर्ष के संशोधित अनुमानो में अनिधिक ऋण से प्राप्त हाने वाली राशि 77 लाख रु0 है आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में इस सम्बन्ध मे 78.00 लाख रु0 प्राप्त होने की संभावना हैं ।

अगले वर्ष के बजट अनुमानो से पता चलता है कि आय व्यय से 6.61 करोड़ रु0 का धाटा रहेगा और यदि इसमें इस वर्ष (1969–70) का घाटा जोड़ दिया जाय तो कुल घाटा 12.50 करोड़ रु0 हो जायेगा ।

मै माननीय सदस्यो का ध्यान इस वित वर्ष की एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहूगी । पांचवे वित आयोग की रिर्पोट के अनुसार हरियाणा राज्य को केन्द्रीय करों ओर शुल्को से अधिक धन प्राप्त होगा । आयोग की रिर्पोट से पूर्व हमें पांच वर्ष की अवधि (1969–74) के दोरान केन्द्रीय करो आदि के 39 करोड़ रु0 मिलने थे परन्तु इस आयोग की सिफारिशो के अनुसार अब हरियाणा को 59 करोड़ रु0 ही मिलेंगे । राज्य के लिए बेशक यह खुशी की बात है कि इससे हमारे साधनो में वृद्वि होगी परन्तु साथ ही इस बात का भी खेद भी है कि यह आयोग हमें कुछ आवश्यक खर्चो के वास्ते सहायता अनुदान देने के लिए सहमत न हुआ । ये आवश्यक खर्चे स्कूलो का दर्जा बढााने, कर्मचारियो के बढे हुए वेतन और भतो, नहरो व सड़को की मुरम्मत आदि और बाढ तथा सूखा राहत कार्यो के लिए आपेक्षित थे।

14 मुख्य अनुसूचित बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश भर में स्वागत हुआ हैं। राज्य सरकार चाहती हैं कि विकास स्कीमों के लिए संस्थाओं के साधनों से ही अधिक धन मिल सकें। राज्य सरकार बैकों को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रेरणा देगी ताकि छोटे किसान तथा गरीब लोग इन से अधिक लाभ उठा सकें। यहां तक बता देना भी जरूरी होगा कि इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक लाभ उठा के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक सैक्टर में कई निगम और बोर्ड बनाए हैं। हाल ही में हरियाणा डेरी विकास निगम तथा लघु सिंचाई (ट्यूबवैल) निगम की स्थपना की गई। इसी प्रकार ग्रह निर्माण स्कीमों को पूरा करने के लिए एक ग्रह निर्माण बोर्ड (Housing Board) बनाने का भी विचार हैं।

योजनाएं: साधनों के बढ़ने से चौथी पंचवर्षीया योजना एवं चालू वर्ष तथा अगामी वर्ष की वार्षिक योजनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई हैं। दो वर्ष पहले योजना खर्च के लिए 27.05 करोड़ रू0 की राशि रखी गई थी जब कि पिछले साल योजना पर 34.83 करोड़ रू खर्च किया गया। चालू वर्ष के खर्च के लिए पहले 26 करोड़ रू रखे गये थे, परन्तु अब इसे बढ़ाकर 34.46 करोड़ रूपये कर दिया गया हैं। अगले वर्ष की योजना के लिए 41.50 करोड़ रूपये कर दिया गया हैं अगले वर्ष की योजना के लिए 41.50 करोड़ रू नियत किए गए हैं। पहले चौथी योजना पर 190 करोड़

रू का खर्च अनुमानित था जिसे बढ़ाकर अब 225 करोड़ रू कर दिया गया। विभिन्न मद्दों के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार हैं

कृषि व सम्बन्धित सैक्टरों के लिए 39.50 करोंड़ रू0 17.38 प्रतिशतण सिंचाई व बिजली पर 117.42 करोड़ रू0 52.18 प्रतिशत, उद्योगों तथा खनिज पदार्थो के लिए 9.20 करोड़ रूपएण (4.10 प्रतिशत), परिवहन तथा संचार के लिए 23.00 करोड़ रूपये (15.69 प्रतिशत) तथा विविध कार्यक्रमों के लिये 0.978 करोड़ रू0 0.43 प्रतिशत। चौथी योजना के खर्च में वृद्धि होने से राज्य में कृषि व उद्योग सैक्टरों में 6 प्रतिशत की उतरोत्तरी बढ़ौत्तरी हो सकेगी। इस के राज्य में असन्तूलन तथा विभिन्न वर्गो के बीच आयकी असमानताओं को दूर किया जायेगा और रोजगार अवसर भी जुटाएं जा सकेंगे।

पिछले वर्ष के अन्त तक 10.16 लाख हैक्टर रकबे में नहरी सिंचाई होती थी। चौथी योजना के अन्त तक 12.24 लाख हैक्टर रकबे में नहरी सिंचाई होने लगेगी। वर्तमान 4.00 लाख हैक्टर (1968769) के अतिरिक्त 3.23 लाख हैक्टर अधिक रकबे में लघु सिंचाई की सुविधांए मिलने लगेंगी। पिछले वर्ष के अन्त तक 2.45 लाख हैक्टर भूमि में अनाज की अधिक उपजाऊ किस्मों की काश्त होती थी। आशा हैं कि चौथी योजना के अन्त तक 14.15 लाख हैक्टर रकबे में इन किस्मो की काश्त होने लगेगी और अनाज की पैदावार 43.70 लाख टन हो जायेगी।

मैं अब माननीय सदस्यों को संक्षेप में विभिन्न सैक्टरों की सफलताओं तथा कार्यक्रमों और इनके अधीन खर्च की जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी।

**कृषिः** कृषि सैक्टर को पहले की तरह ही प्रमुखता दी जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में प्रगति से राज्य की आर्थिक तरक्की की काफी स्पष्ट झलक मिलती हैं। इसलिए सरकार ने सिंचाई सुविधांए बढ़ाने और अधिक उपजाऊ किस्मों और बढ़िया खादों आदि के उपयोग के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी। देहाती कर्जो की सुविधाओं और कृषि विकास की इस स्कीम तालमेल आवश्यक हैं। कर्जा देने के बढ़िया ढंग के सम्बन्ध में जो रूकावटें आ रहीं हैं, उन्हें दूर करने के यत्न किये जा रहे हैं। यह हर्ष का विषय हैं कि सरकार द्वारा किए गए यत्नों और किसानों द्वारा खेती के नये तरीके अपनाने में गहरी रूचि ली गई हैं और इससे काफी लाभ हो रहा हैं। अनाज पैदावार के अनुमान से पता चलता हैं कि खरीफ 1969 के दौरान 10 लाख टन का अधिकतम अनाज पैदा होगा जबकि खरीफ 1967 के दौरान 9.4 लाख टन और खरीफ 1968 के दौरान 6.99 लाख टन अनाज पैदा हुआ था। वर्ष 1970 के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार रबी, विशेषकार गेंहूं कि शानदार फसल होगी और 17.5 लाख टन गेहूं पैदा होने की सम्भावना हैं जिसमें पिछले वर्षो के अनाज की पैदावार का रिकार्ड मात हो जायेगा।

चौथी योजना में कृषि और इसमें सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए 39.10 करोड़ रू रखे गए हैं। चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष के दौरान 38.92 लाख की रकम रखी हुई हैं। इस वर्ष 5.4 लाख हैक्टरा भूमि में अधिक उपजाऊ किस्मों की काश्त हुई हैं। आशा हैं कि अगले वर्ष 7 लाख हैक्टर भूमि में इनकी काश्त होने लगेगी। गन्ना, तिलहन और कपास आदि नकदी फसलों के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र और केन्द्रचालित स्कीमों के अधीन 20.87 लाख रू0 खर्च की व्यवस्था की गई हैं। अगले वर्ष इन फसलों की पैदावार और अधिक बढ़ गई हैं। भारत सराकर ने हाल ही में अध्यादेश द्वारा हिसार में एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थपना की हैं। हमारा यत्न हैं कि इसके अतिरिक्त कृषि अनुसंधान परिषद से 1.13 करोड़ रू प्राप्त होने की आशा हैं तथा अगले वर्ष की योजना में इसके लिए 1.00 करोड़ रू0 रखे गये हैं।

कृषि उद्योग निगम (Agro-Industries Corporation) आयात किए गए ट्रैक्टरों के पुर्जो से उन के निर्माण, ब्रिकि तथा वितरण का काम करता रहेगा। इस निगम का यह भी कार्यक्रम हैं कि इसके द्वारा मुर्गी एवं पशु खुराक के लिए आधुनिक किस्म का एक प्लांट लगाया जाये। कृषि उद्योग निगम की हिस्सा पूजीं बढ़ाने के लिए अगले वर्ष 10.76 लाख रू की राशि रखी गई हैं।

**लघु सिंचाई:** कृषि विकास के कार्यक्रम में सिचाई का बहुत महत्व हैं। अधिक उपज फसलों, घन तथा बहु–फसली खेती

की सफलता, यथा समय सिंचाई पर निर्भर करती हैं। भूतल जल की कमी होने के कारण लघु सिंचाई स्कीमों को अधिक से अधिक पहल देना आवश्यक हैं। राज्य में लघु सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिये राज्य साधनों तथा संस्थाओं के साधन से ही धन जुटाकर अगले वर्ष के दौरान किसानों को बड़ी मात्रा में कर्जे देना का विचार हैं। अगले वर्ष की योजना में कृषि पुनर्वित निगम (Agriculture Refinace Corporation) और भूमि बन्धक बैंकों को लघु सिंचाई स्कीमें चलाने के लिए 58.80 लाख रू0 की सहायता देने का इरादा हैं। आशा हैं कि किसानों को ट्यूबवैल लगाने, पपिंग सैट खरीदने और कुओं के लिये 7 करोड़ रू0 तक के कर्जे दिए, जायेंगे। लघु सिंचाई स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त इलाकों में पर्याप्त कर्ज देना हैं ताकि उन्हें सिंचाई सुविधांए जुटाई जा सकें। इन क्षेत्रों में कृषि पुनर्वित निगम तथा सामान्य ऋण पत्र स्कीमों के अधीन 1.21 करोड़ रू0 कर्जे दिए गए थे। अगले वर्ष 2300 यूनिट लगाने के लिए 2.04 करोड़ रू0 कर्जे देने का विचार हैं। सरकार भूगत जल की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण भी शुरू कर रही हैं। परन्तु सरकारी ट्यूबवैलों के चलाने तथा उनकी देखभाल करने और पर्याप्त साधन जुटाने में कुछ कठिनाई महसूस हूई। इसलिए राज्य में एक लघु सिंचाई निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया। यह निगम केवल सरकार से ही बल्कि अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी धन प्राप्त कर सकेगा। यह निगम राज्य में पहले ध्यान देगा तथा सिचाई व नहरी जल संवर्धन के लिए नए ट्यूबवैल लगाने के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध कार्य भी करेगा।

ट्यूबवैल लगाने के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध कार्य भी करेगा। ट्यूबवैल लगाने के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध कार्य भी करेगा। ट्यूबवैल से सम्बन्धित समान तथा मशीने लगाने के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध कार्य भी करेगा। ट्यूबवैल से सम्बन्धित समान तथा मशीनें आदि बनाने का कार्य भी इस निगम द्वारा किया जाएगा।

**सहकारिताः** आधुनिक कृषि तकनीकों की प्रगति से यह बहुत जरूरी हो गया कि सहकारिता किसानों की उधार सम्बन्धी जरूरतें समय पर पूरी की जायें। भारत सरकार के निदेश पर वाणिज्यक बैंको ग्रामवासियों की उधार सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। परन्तु इस प्रयोजन के लिये वाणिज्यिक बैंको की न तो वहां पर पर्याप्त संख्या में शाखांए हैं और न ही उपयुक्त कार्य प्रणाली। इसी कारण सहकारी समितियों की महता और अधिक बढ़ गई हैं। अतः व्यवस्थित सहकारी उधार प्रणाली की समुचित व्यवस्था के लिये आवश्यक हैं कि पूंजी को बढ़ाया जाय, आर्थिक दृष्टि से कमजोर समितियों को तोड़ दिया जाये और उधार प्रणाली की त्रुटियों को दूर किया जाये ताकि इससे उचित लाभ उठाया जा सकें। इस दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर और छोटी समितियों को मिलाने तथा वास्तविक जरूरतों के आधार पर कर्जे देने के लिये कदम उठायें जा रहे हैं।

प्राथमिक ऋण समितियों (Primary Credit Societies) ने दो वर्ष पूर्व के 7.68 करोड़ रू0 की थोड़ी मियाद और दरमियानी मियाद के कर्जो की तुलना में पिछले वर्ष 12.18 रू0 कर्जे दिए।

अगले वर्ष इन कर्जो को बढ़ाकर 16 करोड़ रू कर देने की आशा हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गोदाम बनाने पर विशेष जोद दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में 776 देहाती गौदामों और 20 मण्डी गोदामों के लिये चौथी योजना में 1.05 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गई हैं।

**पशु–पालनः** राज्य के लोगों की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये पशु–पालन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं। अगले वर्ष की वार्षिक योजना में पशु पालन के विकास के लिए 50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई हैं। दो वर्ष पूर्व करनाल और गुडगांव में जो सघन पशु विकास परियोजनाएं चालू की गई थी, वे ठीक चल रही हैं। और इन परियोजनाओं के फलस्वरूप दूध के उत्पादन में वृद्धि होने लगी हैं। चालू वर्ष में जीन्द और पेहोवा के दूध क्षेत्रों के लिये दो और ऐसी परियोजनाएं चालू की जा रही हैं। अगले वर्ष इन दोनों परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। मुर्गी पालन का विकास करने के लिए सरकारी मुर्गी फार्म अम्बाला का यथोचित विस्तार किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान भेड़–पालन तथा ऊन उत्पादन के विकास के लिए एक ऊन उत्पादन के विकास के लिए एक ऊन वर्गीकरण एंव बिक्री–केन्द्र खोला जा रहा हैं। आशा हैं कि अगले वर्ष इसमें पूरी क्षमता से कार्य होने लगेगा। भेड़ तथा ऊन के विस्तार के लिए एक केन्द्र (Sheep and Wool Extension Center) खोला जायेगा।

मैं यहां केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी जिसे भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया के सहयोग से हिसार में स्थापित किया हैं। आपको मालूम ही होगा कि इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा पहले ही सरकारी पशु फार्म की 7 हजार एकड़ भूमि दी जा चुकी हैं। इस परियोजना के लिए आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लगभग 82 लाख रू0 की राशि दी जाएगी। तथा 7 वर्षो की अवधि में कौरिडेल नसल की 5000 भेंडें तथा 110 मेंढ़ें भेजे जायेंगे। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा मशीनी सामान तथा तकनीकी विशेषज्ञों तथा किसानों के लिए यह एक अच्छा प्रशिक्षण केन्द्र भी सिद्ध होगा।

पशु–पालन के किसी भी कार्यक्रम में पशु रोगों की रोकथाम अत्यावश्यक हैं। चालू वर्ष के अन्त तक राज्य में पशुओं के लिये 142 पशु चिकित्सालय और 98 पशु चिकित्सा औषधालय हो जायेंगे। आगामी वर्ष में 10 नए पशु चिकित्सा औषधालय खोले जायेंगे और इतने ही पशु चिकित्सा औषधालयों को पशु चिकित्सालय बना दिया जायेगा।

**डेरी विकासः** यद्यपि हमारा राज्य पशुधन की दृष्टि से खूब समृद्ध हैं फिर भी पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में डेरियों का संगठित ढंग से विकास करने की और बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। देश में डेरी विकास के लिये किये गये कुल खर्च का केवल 0.08 प्रतिशत खर्च यहां पर किया गया। इस असंतुलन को ठीक करने का विचार किया गया हैं और दरअसल इस सम्बन्ध में

कार्य आरम्भ भी किया जा चुका हैं। राज्य का पहला दरम्याने साईज का मिल्क प्लांट जीन्द में लगाया जा रहा हैं जो 1970 के माध्य तक चालू हो जायेगा। इसकी प्रतिदिन की दूध क्षमता 50000 किलोग्राम होगी। हिसार की वर्तमान डेरी का और अच्छे ढंग से विस्तार किया जायेगा और इसमें पनीर बनाने की मशीन भी लगाई जायेंगी। मीठा दूध बनाने का काम अधिक लाभप्रद माना जाता हैं इसलिये भिवानी में मीठा गाढ़ा अम्बाला में लोगों की दूध की मांग को पूरा करने के लिये एक डेरी प्लांट लगाने का विचार हैं।

डेरी विकास विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र में निगम बना दिया गया हैं। इस प्रकार इस पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। और गैर–सरकारी साधनों का भी उपयोग किया जा सकेगा। डेरी विकास कार्यक्रमों के लिए अगामी वर्ष के दौरान 61 लाख रूपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव हैं।

**वनः** अगामी वर्ष में वन कार्यक्रम का उद्देश्य 230 हैक्टर क्षेत्र में लाभकरी किस्मों के पेड़ उगाना हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे पटरियों तथा सड़कों और नहरों के साथ–साथ पेड़ों की 250 किलोमीटर पंक्तियों भी लगाई जायेगी। अगामी वर्ष के दौरान इस कार्य पर 22.50 लाख रू0 खर्च किये जायेंगे।

अगले वर्ष के दौरान भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1280 हैक्अर भूमि पर पेड़ लगाना और 70 हैक्टर भूमि में गल्ली प्लगिंग और घाटी सुधार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 50

हैक्टर भूमि में चारागाहें बनाने के साथ 180 हैक्टर क्षेत्र में रतीले डिब्बों को आगे बढ़ने से रोका जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए आगामी वर्ष में 27.26 लाख रू0 की व्यवस्था की जा रही हैं।

**सिंचाईः** कृषि में हुई प्रगति को बनाये रखने के लिए आवश्यक खाद आदि की सप्लाई के कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार ने सिंचाई स्कीमों पर काफी अधिक खर्च करना शुरू कर दिया हैं। इस प्रोग्राम के अनुसार विभिन्न मुख्य और माध्यम सिंचाई स्कीमों पर 1967–68 में 2ण्05 करोड़ रू0 और 1968–69 में 2.30 करोड़ रूपये खर्च किये गये परन्तु अब चालू वर्ष में इन पर 2.60 करोड़ रू0 और 1968–69 में 2.30 करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे जब कि अगले वर्ष इन पर 6.00 करोड़ रू खर्च करने का इरादा हैं। इस प्रोग्राम के अधीन किये जाने वाले खर्च में गुडगांव नहर प्राजैक्ट पश्चिमी यमुना नहर रीमाडलिंग प्राजैक्ट 1. 10 करोड़ रू0, पश्चिमी यमुना नहर फीडर प्राजैक्ट 15 लाख रू और रिवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम 5 लाख रू जैसी चालू स्कीमों पर खर्च करना भी शामिल हैं। इस के कारण्र अधिक क्षेत्रों में सिचाई की जा सकेगी।

कई नई स्कीमों भी शुरू की जा रही हैं। जिन की और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ऐसी एक स्कीम जुई नहर सम्बन्धी हैं जिसे हाल ही में मंजुर किया गया हैं इसमे भिवानी तहसील की 820000 एकड़ सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इस परियोजना पर पहले ही

काम शुरू किया जा चुका हैं और आशा हैं कि यह कार्य अगले दो वर्षा में पूरा हो जायेगा। इस परियोजना के लगभग 3.67 करोड़ रू खर्च होने का अनुमान हैं जिसमें से 2.25 करोड़ अन्त तक खर्च किये जायेगे। यह भी एक योजना है कि बीबीपुर झील में पश्चिमी यमुना नहर से लगभग एक लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जाए ताकि प्रदेश की दक्षिणी इलाकों की रबी फसल के लिए पानी मिल सके। इस स्कीम पर 1.5 लाख खर्च होने का अनुमान हैं। इस रकम में से पहले अगले वर्ष के अन्त तक 76 लाख रूपये खर्च किये जाने की सम्भावना हैं। आशा हैं कि यह स्कीम के अन्त तक 76 लाख रूपये खर्च किये जाने की सम्भावना हैं। आशा हैं कि यह स्कीम1971–72 तक पूरी हो जायेगी। सोहना लिफ्ट सिचाई स्कीम का कार्य भी अगले वर्ष से आरम्भ किया जा रहा हैं और इस स्कीम पर लगभग 45 लाख रू की व्यवस्था की जा रही हैं। इस स्कीम से नूह उप–शाखा से पानी को उठाकर सोहना पठार के इलाकों में ले जाया जा सकेगा।

**बाढ़ तथा सेम संबधी स्कीमे**: हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्र लगभग 108 लाख एकड़ हैं, जिस में से 58 लाख एकड़ में हर साल बाढ़ आती रहती हैं। बाढ़ नियन्त्रण, जल निकास और सेमरीक स्कीमों पर हरियाणा राज्य बनने तक लगभग 8.64 करोड़ रूपये ही खर्च किये गये थे। हरियाणा राज्य बनने के बाद इन स्कीमों पर लगभग 4.13 करोड़ रूपये और खर्च करने का इरादा हैं ताकि इन स्कीमो के पूरा होने पर बाढ़ो की रोकथाम हो सके।

बिजलीः चूंकि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को मार्किट से अधिक कर्जे मिल रहे हैं इसलिए बोर्ड की चौथी योजना के लिये जो 37 करोड़ रूपये रखे गए थे, अब इन्हें बढ़ाकर 50 करोड़ रूपए कर दिया गया हैं। इसके इलावा यह भी आशा हैं कि बिजली बोर्ड को बैंकों, कृषि पुनर्वित निगम (Agriculture Refinance) और ग्रामीण बिजली निगम से 25 करोड़ रू0 अतिरिक्त कर्जा मिल सकेगा। अगले वर्ष की वार्षिक योजना में बिजली परियोजनाओं के लिए 10.23 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई हैं। इस राज्य में बिजली की खपत बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और अनुमान हैं कि  यह खपत अगले वर्ष के अंत तक 80 यूनिट प्रति व्यक्ति हो जायेगी। जब कि हरियाणा राज्य बनने के समय यह खपत 57 यूनिटो प्रति व्यक्ति थी। ट्यूबवैलों को बिजली देने तथा गांवों मे बिजली लगाने के कार्य में बोर्ड ने उल्लेखनीय प्रगति की हैं। हरियाणा बनने तक इस राज्य में बिजली से चलने वाले ट्यूबवैल कुल 15000 थे। गत वर्षो बोर्ड द्वारा 18700 ट्यूबवैलो को बिजली दि गई और चालू वर्ष में 22,000 और ट्यूबवैलों को बिजली देने का कार्य पूरा हो जायेगा। योजना का लक्ष्य 60000 नलकूपों से बढ़ाकर 100000 नलकूप कर दिया गया हैं। हरियाणा बनने से पूर्व, 1250 गांवो को बिजली दी गई थी जब कि चालू वर्ष में बोर्ड द्वारा 1500 अन्य गांवो को बिजली दी जा सकेगी।

बिजली की इतनी भारी मांग को पूरा करने के लिये बिजली बोर्ड बिजली उत्पादन के लिये भरसक प्रयास कर रहा हैं। बोर्ड द्वारा फरीदाबाद में 55 मैगावाट थर्मल प्लांट लगाया जा रहा हैं और पश्चिमी यमुना नहर पर पन बिजली के उत्पादन की योजना हैं। व्यास परियोजना से दे हर तथा पोंग बिजली घरों से 900 मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्ति होने की सम्भावना हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया हैं कि राज्य को भाखड़ा परियोजना के जल के हिस्से के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए हमें भाखड़ा बिजली घरों से अतिरिक्त बिजली मिल सकेगी।

**सड़के:** अर्थ–व्यवस्था के समूचे विकास के लिए संचार का बहुत बड़ा महत्व हैं। इसलिये सड़के निर्माण कार्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा गया और इसी लिए इस काम को बड़ी तेजी से किया जा रहा हैं। पिछले वर्ष 350 किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई गई थी। किन्तु चालू वर्ष में 800 किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई जा रही हैं। अगले वर्ष 1200 किलोमीटर लम्बी सड़के बनानी अनुमानित हैं। नई सड़के बनाने के साथ–साथ वर्तमान लम्बी सड़को को भी चौड़ा किया जा रहा है। अगले वर्ष के दौरान 450 किलोमीटर लम्बी सड़को को चौड़ा करने का काम शुरू किया जायेगा। हमारा लक्ष्य हैं कि चौथी पंचवर्षीया योजना के अन्त तक हरियाणा के हर मुख्य गांव में पक्की सड़क की सुविधा हो जाए। इस वर्ष के दौरान नई सड़के बनाने के लिये लगभग 4.8 करोड़

रू0 की व्यवस्था की गई हैं किन्तु आगामी वर्ष के लिए यह व्यवस्था बढ़ाकर लगभग 5.3 करोड़ रू की कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग ने काम की सुविधा के लिये मार्किट कमेटी योजक सड़के बनाने का भार भी सम्भाल लिया हैं ताकि सड़के बनाने के काम में तालमेल लाया जा सकें। इस कार्यक्रम के अधीन आगामी वर्ष में मार्किट निधि से 80 लाख रू की सड़के बनाने का कार्यक्रम हैं।

**सड़क परिवहनः** प्रदेश परिवहन में कुशलता तथा सुव्यवस्था लाने के लिये सरकार ने राज्य के सारे रूटों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई हैं। 50:50 स्कीम के 30 जून 1969 समाप्त होने के बाद परिवहन के राष्ट्रीयकरण की यह नीति अपनाई गई हैं। निर्णय से हरियाणा रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी हो गया हैं। पिछले वर्ष के अन्त तक इस राज्य की 689 बसें थी। नवम्बर, 1969 में यह संख्या बढ़कर 714 हो गई हैं। राष्ट्रीयकरण वाले रूटों पर अगले साल 400 अतिरिक्त बसें बढ़ाने का विचार हैं। वास्तव में यह सफलता सराहनीय हैं। इसके साथ प्रमुख स्थानों पर नए तथा बढ़िया बस अड्डों और छोटे स्थानों पर यात्रियों के विश्राम के लिये शैलटर बनाने के रूप में अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष योजना के लिये 90 लाख रूपये की व्यवस्था प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष योजना के लिए 90 लाख रूपये की व्यवस्था थी। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 126 लाख रूपए कर दिया गया है।

**उद्योगः** देहली की निकटता के कारण हमारा हरियाणा राज्य नये उद्योग स्थापित करने के इन्छुक हैं उद्योगपतियों के लिये बहुत उपयुक्त हैं। सरकार चाहती हैं कि अधिक से अधिक उद्योगपति हरियाणा में उद्योग स्थापित करें। इससे राज्य की आमदनी तो बढेगी ही इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी खूब बढेंगे। गत वर्ष 32 आवेदकों को लाईसेंस और आश पत्र जारी किये गये थें। जिसके फलस्वरूप 14 करोड़ रूपये की पूंजी लगाने और 700 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की व्यवस्था हैं। लघु उद्योगो को 31.50 लाख रू देने का प्रस्ताव हैं। इसके इलावा आगामी वर्ष में काम ब्याज पर 6 लाख रू0 देने का प्रस्ताव हैं। इसके अलावा वर्ष में कम ब्याज पर 6 लाख रू का कर्जा देने का उपबन्ध भी किया जा सकेगा। यह कर्जा अनुसुचित बैकों के माध्यमों से दिया जाएगा।

महेन्द्रगढ़ और अम्बाला के जिलों में चूना, कच्चा लोहा और संगमरमर पर्याप्त मात्रा में पाया गया हैं जिससे खनिज पर आधरित उद्योगों के विकास के लिये कच्चा माल उपलब्ध होगा। राज्य में कालमी शोरे  से लगभग 28.48 लाख रू की आय प्राप्त हुई। खनिज पदार्थो को सुव्यवस्थित ढंग से निकालने के लिये एक विस्तृत योजना बनाई गई हैं। आगामी वर्ष में इस स्कीम के लिये 3 लाख रूपये रखे गये हैं।

तीन स्वायत निकाय हरियाणा वित्त–निगम, हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम तथा हरियाणा राज्य लघु उद्योग व

निर्यात निगम न वित्तीय सहायता देने, हिस्सा पूंजी की गारन्टी देने, दुर्लभ कच्चे माल की प्राप्ति तथा निर्यात को उन्नत करने से सम्बन्धित मामलों में अपने कार्य को जारी रखां। हरियाणा निगम ने लगभग 1.70 करोड़ रूपए के कर्जे दिये। लघु उद्योग व निर्यात निगम की कुल बिक्री 1.17 करोड़ रू. से अधिक हुई। निगम की निर्यात बिक्री 60 लाख रू थी।

**उद्योगो को रियायतेः** नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अधिक रोजगार सुविधांए उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने नए उद्योगपतियों को पर्याप्त रियायते देने का निर्णय किया हैं। नए यूनिटों को दी जा रही रियायतों में बिजली ड्यूटो से पूर्ण छूट भी शामिल हैं। यह रियायत फरीदाबाद–बल्लभगढ़ क्षेत्र में लघु उद्योंगों के लिये उत्पादन की तारीख से तीन वर्ष के लिये होगी। पिछले क्षेत्रों में यह रियायत 1 करोड़ रूपए की पूंजी वाले नए उद्योगों के लिए सात वर्ष तथा अन्य क्षेत्र में 50 लाख रूपये की पूंजी वाले नए उद्योगो के लिए पांच वर्ष तक होगी। इस सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रो में जिला महेन्द्रगढ़ जिला जीन्द, जिला गुडगांव की रिवाड़ी तहसील, जिला हिसार की भिवानी तहसील, जिला अम्बाला की नारायणगढ़ तथा कालका तहसीलें और जिला रोहतक की नाहर उप तहसील शामिल हैं। अपनी बिजली पैदा करने वाले उद्योगो को बिना ब्याज कर्जे देने का निर्णय भी शामिल हैं ऐसे रासयनिक तथा अन्य उद्योगो को भी रियायती दरों पर पर बिजली दी जाएगी जो बिजली को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल

करते हैं। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने अगले पांच वर्षों में औद्योगिक शुल्क दर बढाने का आश्वासन दिया हैं।

नए उद्योग यूनिट द्वारा देय अन्तर्राज्य बिक्री–कर के बारे में यह निर्णय किया गया हैं कि यह कर ब्याज रहित ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। यह रियायत फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र में छोटे पैमाने वाले उद्योगो के लिए उत्पादन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी और ऊपर लिखे पिछड़े क्षेत्रों में यह रियायत 1 करोड़ रू तक की पूंजी वाले उद्योगों के लिए 5 वर्ष तथा शेष राज्य में 50 लाख रूपए की पूंजी वाले उद्योगो के लिए 5 वर्ष तक होगी। किसी वर्ष–विशेष में ब्याज रहित ऋण मानी जाने वाली कुल रकम पूंजी निवेश (Capital Investment) की 8 प्रतिशत होगी ओर इसे कर देय होने की तारीख से 5 वर्ष के बाद 10 बराबर छमाही किस्तों में वसूल किया जाएगा। हरियाणा में उद्योगो द्वारा खरीदे गए ऐसे कच्चे माल पर, जिस से तैयार–शूदा माल बाहर बेचा जाना हो, लगने वाले कर को अन्तर्राज्य बिक्री कर की तरह ऋण समझा जाएगा। ये रियायतें इस शर्त पर दी जायेगी कि सम्बद्ध नए उद्योग अपनी सारी अन्तर्राज्य बिक्री हरियाणा से ही करें।

सरकार ने चुंगी के सम्बन्ध में यह आश्वासन देने का फैसला किया हैं कि वे उद्योग, जो स्थापित के समय नगरपालिका की सीमाओं से बाहर होगें, उन पर पांच वर्ष तक कोई चुंगी लगेगी। नगरपालिका की सीमाओं में स्थित उद्योगों को पूंजीगत

साजसामान तथा भवन निर्माण की सामग्री पर और नए उद्योगों को तीन वर्ष के लिए कच्चे माल पर चुंगी से छुट होगी। इसी प्रकार फरीदाबाद बल्लभगढ़ क्षेत्र में केवल छोटे पैमाने वाले उद्योगो और अन्य क्षेत्रो में 50 लाख रूपये तक के पूजी वाले उद्योगो और पिछड़े क्षेत्रों में एक करोड़ रूपए तक के पूंजी वाले उद्योगों को छूट मिलेगी।

यह भी निर्णय लिया गया हैं कि जो इन रियायतों के अर्न्तर्गत नहीं आते उनके सम्बन्ध में उद्योगों को यथाशीघ्र बढ़ावा देने के लिए आवश्यकत समझी गई किया जाएगा। आशा हैं कि इन रियायतों तथा वर्तमान सुविधाओं के कारण बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित करेंगे।

**चिकित्साः** सरकार लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधाए जुटाने के लिये भी बहुत कुछ करना हैं ताकि यह प्रदेश इस सम्बन्ध में दूसरे राज्यों का मुकाबला कर सकें। अतः सरकार ने यह फैसला किया हैं कि इस कमी को यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा। इसके लिए चिकित्सा सुविधाओं को बड़े पैमाने पर जुटाने के उद्‌देश्य से अधिक धन खर्च किया जायेगा। अगले माली साल में हमारी यह कोशिश होगी कि अखिल भारतीय बिस्तर–जनसंख्या अनुपात (Bed population ration) के अनुसार राज्य के हस्पतालों में बिस्तरों का लक्ष्य पूरा हो जाये। अगले वर्ष मेडिकल कालेज रोहतक में और अधिक विद्याार्थियों को दाखिला दने के विचार से 1970–71 के बजट अनुमानों में 20.95 लाख रू0 की व्यवस्था की

गई हैं। निम्न कार्यक्रम के लिए 46.65 लाख रू0 की राशि रखी गई हैं:

प्रत्येक जिले तथा तहसील मुख्यालय के हस्पतालों और डिस्पैंसरियों में सुधार करना और इन का विस्तार करना;

अनेक हस्पतालों और डिस्पैंसरियो का प्रान्तीयकरण; और

हिसार, अम्बाला, गुडगांव और नारनौल के हस्पतालों में विशेष शिशु चिकित्सा यूनिट चालू रखना;

राज्य में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार लाने के उद्देश्यों से 17 लाख रू की व्यवस्था की गई हैं। इसके इलावा प्रयोगशालाओं, स्कूल स्वास्थ्य लाख सेवाओं और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को और तेजी से चलाने के लिए 12.00 लाख रू की अतिरिक्त राशि रखी गई हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई हैं और इस कार्य को लगातार प्राथमिक दी जायेगी।

**जल सप्लाई:** राज्य के लोगों की एक बड़ी कठिनाई यह हैं कि उन्हें स्वास्थ्यकार पीने का पानी कम मात्रा में मिलता हैं। इस सम्बन्ध में लोगों की कठिनाईयों को दूर करने लिए जल–सप्लाई स्कीमों पर होने वाले खर्च को काफी हद तक बढ़ा दिया गया हैं। इन स्कीमों पर अगले वर्ष 140 लाख रूपये खर्च किये जाएगें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 गावों और 15 नगरों

में नई स्कीमें चालू की जायेंगी। इसके साथ–साथ जल सप्लाई स्कीमों के इलावा, अगले वर्ष 9 नगरो में मल–निकास कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव हैं।

**शिक्षाः** शिक्षा की दृष्टि से हरियाणा विशेष रूप से पिछड़ा हुआ हैं। इसलिये इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चालू साल की योजना में इस कार्यक्रम में रखी 162 लाख रूपए को बढ़ाकर 1970–71 की योजना में 239.27 लाख रू कर दिया गया। इस रकम को अगामी वर्ष में और भी ज्यादा बढ़ाने का इरादा हैं।

शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने की नीति को चालू वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर जारी रखा गया हैं। इस नीति के तहत 50 नये प्राईमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का कार्यक्रम हैं सरकार का विचार हैं कि अगले वर्ष एक नया आर्ट तथा सांईस कालेज और एक व्यायाम केन्द्र खोल दिया जाये।

अब हम ऐसे स्तर पर पहुच गये हैं जब कि शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधांए तथा उनके शिक्षण स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक पग उठाए जायें। स्कूलों का सूधार करने के लिए यह विचार हैं कि उनके भवनों की मरम्मत एवं विस्तार तथा सफाई की व्यवस्था आदि की सुविधांए बढ़ाई जाये। यह कार्य स्थानीय लोगों के सहयोंग से तथा सरकारी निधि से धन राशि प्राप्त करके

किया जायेगा। करनाल के राज्य शिक्षा संस्थान ने चालू वित्त वर्ष मैं अपना कार्य शुरू कर दिया हैं। अब यह स्कूल शिक्षा को सभी स्तरों पर और अधिक उन्नत बनाने के लिये इस संस्थान के कार्यक्रम को और भी व्यापक बनायेगा। इस कार्यक्रम के अधीन वर्तमान अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधांए देना भी शामिल हैं। करनाल में उसी कैम्पस में एक विज्ञान शिक्षा संस्थान भी खोला जा रहा हैं जो कि विज्ञान शिक्षा में सुधार की और ध्यान देगा। यूनेस्को यूनीसेंफ के लिए एक और स्कीम भी चालू की जा रही हैं। अधिकांश स्कूलों में विज्ञान–कक्षा बनाने का भी प्रस्ताव है। चालू वर्ष में ऐसे 50 कक्ष बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका हैं। अच्छे तथा ईमानदार अध्यापकों को उनकी सेवाओं के आधार पर और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कुछ और प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा हैं। अनुसुचित जातियों और पिछड़े वर्गो के बच्चों की भलाई के लिये तथा योग्यता एंव आवश्कता के आधार पर अनेक स्तरों पर छात्रवृत्तियों देने के लिये भी बजट में व्यवस्था की जा रही हैं।

हरियाणा राज्य लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र विशेष रूप से पिछड़ा हुआ हैं। सरकार चाहती हैं इस कमी को भी शीघ्र ही दूर किया जायेगा। अतः स्कूलो को दर्जा बढ़ाते समय, देहाती क्षेत्रों में अध्यापिकों तथा दर्जा बढ़ाने की और विशेष ध्यान दिया जायेगा। देहाती क्षेत्रों में अध्यापकों तथा सैकेण्डरी स्कूलों की छात्राओं के लिये रिहायशी स्थान की व्यवस्था करने का

प्रस्ताव भी हैं। लड़कियों को उच्चतर शिक्षा देने के लिए कुरूक्षेत्र में एक महिला कालेज खोला जा रहा हैं।

जहां तक कालेज शिक्षा का सम्बन्ध हैं, एक नया कला तथा विज्ञान कालेज खोलने का विचार हैं। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रादेशिक केन्द्र के विस्तार कार्यक्रम के लिये भी उपयुक्त सहायता दी जायेगी। कालेजों में कई नए विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाएं भी चालू की जा रही हैं। अगले वर्षो व्यायाम शिक्षा (फिजिकल ऐजूकेशन) का एक कालेज भी खोला जायेगा।

**अनूसूचित जातियां तथा काबिले और समाज कल्याणः** हरियाणा सरकार द्वारा सामजिक रूप से दलित तथा उपेक्षित वर्ग के लिए लोगो को विशेषकर अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुधार की स्कीमों को विशेष महत्व दिया जा रहा हैं। चालू वित्त वर्ष में 47 लाख रू की खर्च की तुलना अगले वर्ष के लिये एक करोड़ रू0 की योजनांए बनाई गई हैं। योजना स्कीमों के अर्न्तगत हरिजनों को वाजिफे तथा फीस में रियायत (15.50 लाख रू0) देने, और कृषि भूमि खरीदने के लिये कर्जे देने, मकान तथा कुएं बनाने तथा कृषि औजार खरीदने के लिए कर्जे के रूप में दी जाने वाली स्कीमें भी शामिल हैं। योजनेतर पक्ष में सरकार हरिजनों को विभिन्न प्रकार से के शिल्पों के लिए विशेष डेरी फार्म लगाने के लिए कर्जे के रूप में दी जाने वाली राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया हैं। पुस्तकें खरीदने के लिए वजीफे की रकत 6 रू महीना से बढ़ाकर 8 रू महीना कर दी

हैं। होस्टलों में रहने वाले मेट्रिक से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए मौजुदा वजीफे के इलावा सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थीयों के लिए मौजुदा वजीफे के इलावा सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी 15 रू0 महीना अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। इन विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर दाखिल होने के लिए ली जाने वाल प्रतियोगिता परीक्षाओं के योग्य बनाने के लिए एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अम्बाला में खोला गया हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था राज्य में अन्य स्थानों पर भी की जायेगी।

सरकार एक करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी से एक हरिजन कल्याण निगम भी स्थापित कर रही हैं। बजट मे निगम को 25 लाख रू0 देने की व्यवस्था की गई हैं। अनुसूचित जातियों के सदस्यों उन के संगठनों सहकारी संस्थाओं तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थानो को निगम द्वारा सहायता दी जाएगी ताकि इन लोगों को उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहायता दी जा सके। इससे हरिजनों को कृषि सम्बन्धी कार्यो में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी। निगम ऐसे लाभप्रद करोबार करेगा कि हरिजनों को रोजगार की सुविधांए प्राप्त हो जायेंगी और निगम को भी जल्दी ही लाभ हो।

समाज–कल्याण की स्कीमों को क्रमशः कई वर्षो में फैला दिया गया हैं। और अब समाजिक तथा शारीरिक दृष्टि से विकासरूद्व व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली अनेक स्कीमें हो गई हैं। अगले वर्ष समाज कल्याण के लिए जिन में

वृद्धावस्था, पेंशन तथा विभिन्न स्वयं सेवी कल्याण स्कीमों के वित्तीय सहायता देने की स्कीमें भी शामिल हैं, 21 लाख रू0 के खर्च का उपबन्ध किया गया हैं। सरकार ने राजनीतिक पीडितों को दी जाने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ा दी है। जो राजनीतिक पीडित पहले 25 रूपए से कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें अब 25 रू0 और जो 25 रू0 तथा 50 रू की बीच पेंशन ले रहे थें, उन्हें अब 50 रू प्रति मास पेन्शन मिलेगी। जिस व्यक्ति का बकाया जमा हो गया होगा अब वह उस बकाये का हकदार होगा।

**भूमि सुधार उपायः** सरकार देहाती इलाकों में ऐसा वतावरण बनाना चाहती हैं जिस से सामजिक तथा आर्थिक प्रगति की रफ्तार को स्थिर रखा जा सके। इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम यह है कि किसानो के लिये पास बुक प्रणाली शुरू की जायेगी। इन पास बुकों में किसानो के हकों का तैयार रिकार्ड होगा तथा उन्हें कर्जे लेने में भी सहायता मिलेगी। सरकार ने एक कमेटी भी बनाई हैं जो मौजूदा भूमि सूधारो कानूनों में त्रुटियों की जांच करेगी तथा ऐसे उपायों का सुझाव देगी जिन से मुजारों को सुरक्षा मिल सके और जमीदारों तथा मुजरो के बीच सुखद सम्बन्ध के लिए वातावरण बन सके। यह कमेटी ऐसे उपायों की भी जांच कर रही हैं जिन से भूमि सुधार के दो प्रकार के कानूना में एक रूपता लाई जा सके।

**नगर तथा ग्राम आयोजनाः** नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग का उद्देश्य मुख्य शहरी केन्द्र के योजनाबद्ध विकास को

सुनिश्चित करना हैं। इस कार्यक्रम स्थानों पर भूमि का अभिग्रहण करके उसे रिहायशी, व्यापरिक तथा औद्योगिकी केन्द्रों के लिए विकसित किया गया हैं। जहां तक शहरी बस्तियों का सम्बन्ध हैं, गत वर्ष तक 4.13 करोड़ रू खर्च करके 36000 एकड़ भूमि अभिगृहीत की गई। प्लाटों की बिक्री से कुल 6.14 करोड़ की आमदन हुई। चालू वर्ष के दौरान 1000 एकड़ भूमि अभिगृहीत की जायेगी और अगामी वर्ष के दौरान 3.35 करोड़ रू के खर्च पर 15000 एकड़ और भूमि अभिगृहीत करने का प्रस्ताव हैं।

**सरकरी कर्मचारीः** चालू वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय गत वर्ष सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान तथा महगाई भता बढाने का निर्णय लिया था। वस्तुओ के मूल्य बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों को पेश आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए ऐसा काम किया गया हैं यह निर्णय अब लागे हो चुका हैं और लगभग सभी कर्मचारियो को बढ़े हुए वेतनमान दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष के लिए मध्य आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वास्ते गृह निर्माण के लिये 11 लाख रू0 का उपबन्ध किया गया हैं।

**करों में छुटः** राज्य की वित्तीय स्थिति के विकट होते हुए भी कुछ विशेष व्यापारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करों में छूट दी गई हैं। तेल, खल, तोरिया, तिल और तारमिरा पर कर की दर 3 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत कर दी हैं। जिन भवनों में

नई फैक्टरिया लगाई गई हैं उन्हें उत्पादन आरम्भ करने से लेकर पांच साल के लिये सम्पत्ति कर से छुट दे दी गई हैं।

**जंगी जागीरें:** अभी तक भू–राजस्व की मुअत्तली, छूट या कम वसूली के कारण जंगी जागीरो में कटौती की जाती थी। अब अधिनियम की सम्बन्धित धारा में संशोधन कर दिया गया हैं और इस प्रकार जंगी जागीरों की अदायगी भू राजस्व की मुआत्तली अथवा छूट पर निर्भर नहीं रहेंगी। यह भी फैसला किया गया हैं कि जंगी जागीरों को रकम 100 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये कर दी जाए। सेना में 4 अथवा 4 से अधिक पुत्र को भर्ती करवाने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली अतिरिक्त रकम 40 रूपये से 50 रूपये कर दी गई हैं

**विशेष कार्यक्रम:** मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अगामी वर्ष के बजट अनुमानों से 12.50 करोड़ रूपये से अधिक संचयी घाटा होने की सम्भावना हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हरियाणा के सभी क्षेत्र सदा से अपेक्षित रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करने चाहिए। सरकार का यह दृढ निश्यच हैं कि हरियाणा के सभी क्षेत्रो को न केवल पिछड़ापन ही दूर किया जाए अपितु इस प्रदेश राज्यों के स्तर पर लाया जाये । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति व्यक्ति आय योजना परिव्यय में हरियाणा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में लगभग सब से आगे हैं।

हमारी सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता को महसूस करती हैं। इसलिये हमने निर्णय किया हैं कि उपयुक्त घाटे भी अगले वित्तीय वर्ष में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये बजअ में दिये गए परिव्यय के इलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये धन की और व्यवस्था की जाये:–

1. .अस्पतालों तथा डिस्पैसरियों को दवाइयां खरीदने के लिये धन की अतिरिक्त व्यवस्था;

2. मैडिकल कालेज, रोहतक तथा जिला एंव, उपमण्डल स्तरों पर स्थित हस्पतालों के लिये आवश्यक सामान की खरीद के लिये धन की व्यवस्था ;

3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुच्छक चलती फिरती डिस्पैसरियों के लिये धन की व्यवस्था ;

4. रोहतक में स्थित स्नातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र का विकास;

5. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिये अतिरिक्त उपबन्ध;

6. स्कूलों का दर्जा बढ़ाना;

7. शिक्षा संस्थाओं में सुविधांए बढ़ाना;

8. अन्य दो पशु विकास परियोजनाओं को शुरू करना तथा चलती फिरती पशुपालन डिस्पैंसरियों की व्यवस्था;

9. हरिजन छात्रों को दिए जाने वाले वजीफों में वृद्धि।

उपर्युक्त कार्यक्रम पर लगभग 2 करोड़ रूपये खर्च होंगे जिसके लिए धन की व्यवस्था यथा समय कर दी जायगी। इस प्रकार सदस्य देखेंगें कि उक्त कार्यक्रम के कारण दिखाया गया घाटा बढ़कर लगभग 14.50 करोड़ रूपए हो जायेगा। इस समय यह घाटा बिना पूरा किए छोड़ा जा रहा हूं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार अपने वर्तमान साधनों को पूरा उपयोग तथा सभी तरह के खर्चो में अधिक से अधिक किफायत ऋण तथा अन्य तरीकों द्वारा इस घाटे को पूरा करने का प्रयत्न करेंगी।

**निष्कर्ष:** भाषण समाप्त करने से पहले समान्य बात कहना चाहूंगी। सूखा तथा अकाल की दैवी विपतियों के बावजूद, राज्य की वित्तीय हालत में चालू वर्ष से काफी सूधार हुआ हैं । फलस्वरूप सड़को, सिंचाई और बिजली तथा समाजिक तथा विकास सेंवाओ जैसे आवश्यक क्षेत्रों में सराहनीय कामयाबती हुई है। हम चाहते हैं कि अगले वर्ष भी यह प्रगतिशील वातावरण तथा उत्साह बना रहे और उसे तेज किया जाय। हरियाणा बनने के बाद सामाजिक तथा विकास कार्यो का खर्च दुगुणा हो गया हैं। विकास

कार्यों को सफल बनाने के लिये प्रशासनीय अमला पूरी तरह से तत्पर है। विकास न केवल सभी क्षेत्रों में हुआ हैं अपितु यह उद्देश्य पूर्ण भी रहा हैं। इसका उद्देश्य राज्य की आबादी को पिछड़े हुए तथा हुए तथा निर्धन वर्गों विशेषकर ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों में अवसर की समानता प्रदान करना तथा उनके जीवन की आवश्यकताए पूरा करना रहा हैं। सरकारी उद्योगों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर, सूखा ग्रस्त इलाकों में, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाकर, बाढ़ से घिरे तथा गांवों को बिजली देकर और बैको राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप छोटे किसानो को उधार सुविधाए देने के महान कार्यक्रम को शुरू करके राज्य सरकार ने वे सब पग पहले ही उठा लिए हैं जिन से समाजवाद के उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी जिसकी निर्भीक घोषणा प्रधानमन्त्री द्वारा की गई हैं। मुझे विश्वास हैं कि यदि प्रगति की वर्तमान रफ्तार बनी रही तो दो तीन वर्ष में हरियाणा न केवल पिछडी कमियों को दूर हो कर लेगा बल्कि देश का एक प्रगतिशील राज्य भी बन जायेगा।

**आभार प्रदर्शनः** मैं वित्त तथा आयोजना और वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जिन्होनें बजट को तैयार किया आभारी हूं, मैं महालेखाकर और नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन–सामग्री तथा उनके कर्मचारियों के सहयोग के लिए धन्यचाद करती हूं।

श्रीमन्! अब मैं वर्ष 1970–71 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी।

**(12.10 P.M.)**

श्री अध्यक्षः सभा कल 2 बजे पश्चात् मध्यान्ह तक के लिए स्थगित की जाती हैं।

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Wednesday, the 25th February, 1970)